प्रेरणा
RNI No. UPHIN/2000/3766 ISSN No. 2581-3528 ₹ : 20

केशव संवाद

माघ-फाल्गुन, विक्रम सम्वत् 2079 (फरवरी-2023)

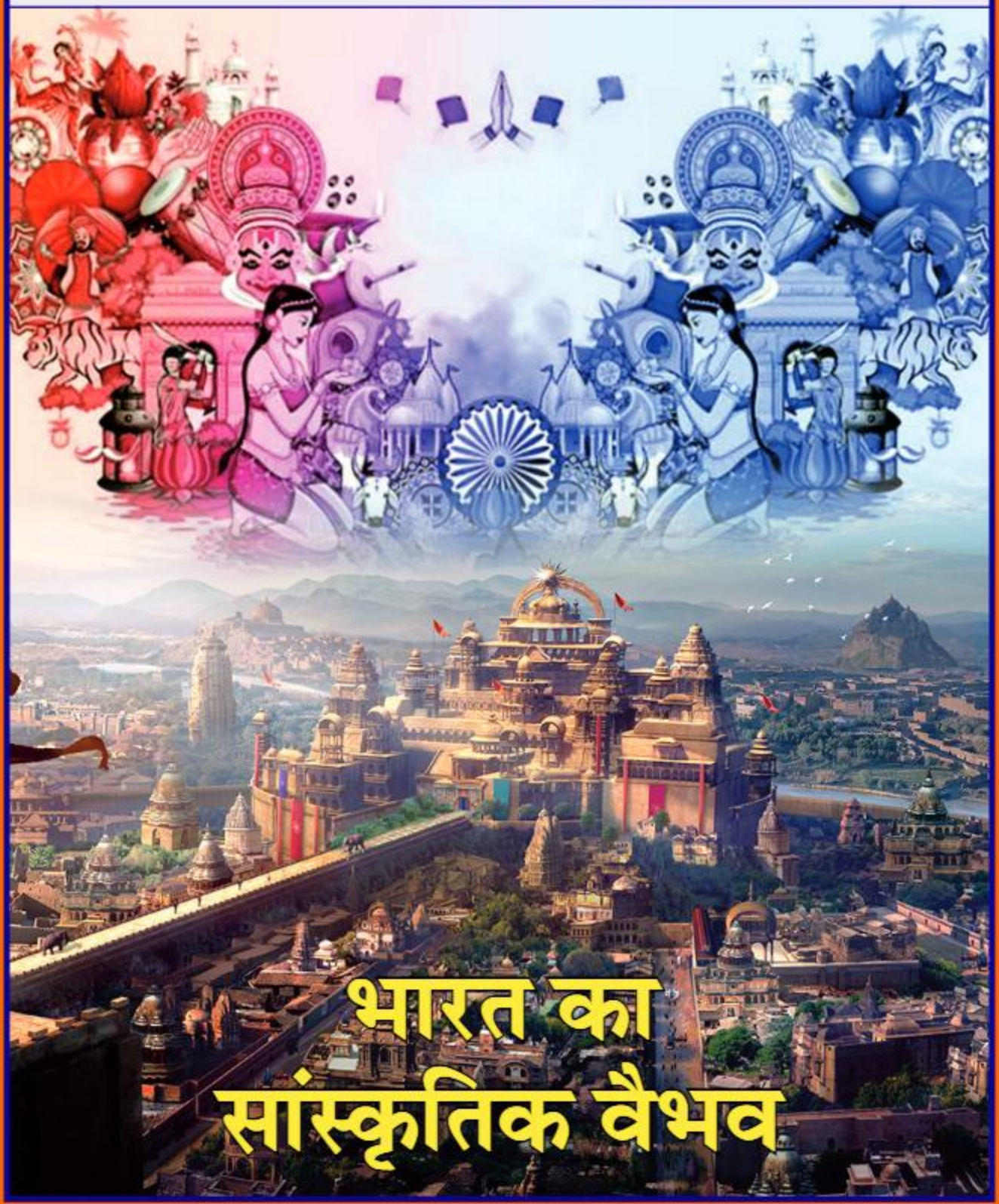

भारत का सांस्कृतिक वैभव

फरवरी 2023, माघ-फाल्गुन विक्रम सम्वत् 2079

हिन्दी पंचांग

SUN रविवार	MON सोमवार	TUE मंगलवार	WED बुधवार	THU गुरुवार	FRI शुक्रवार	SAT शनिवार
			1 जया एकादशी मैमी एकादशी (बंगाल) माघ शु.११	2 भीष्म द्वादशी माघ शु.१२	3 श्री विश्वकर्मा जयंती माघ शु.१३	4 माघ शु.१४
5 माघ पूर्णिमा पूर्णिमा	6 फाल्गुन मासारंभ फाल्गुन कृ.१	7 फाल्गुन कृ.२	8 फाल्गुन कृ.३	9 गणेश संकष्ट चतुर्थी फाल्गुन कृ.४	10 फाल्गुन कृ.४	11 फाल्गुन कृ.५
12 फाल्गुन कृ.६	13 कालाष्टमी फाल्गुन कृ.७	14 फाल्गुन कृ.८	15 श्री रामदास नवमी फाल्गुन कृ.९/१०	16 विजया स्मार्त एकादशी फाल्गुन कृ.११	17 भागवत एकादशी फाल्गुन कृ.१२	18 महाशिवरात्री फाल्गुन कृ.१३
19 शिवाजी महाराज जयंती दर्श अमावस्या फाल्गुन कृ.१४	20 सोमवती अमावस्या अमावस्या	21 चंद्रदर्शन फाल्गुन शु.१/२	22 फाल्गुन शु.३	23 विनायक चतुर्थी फाल्गुन शु.४	24 फाल्गुन शु.५	25 फाल्गुन शु.६
26 मानु सप्तमी होलाष्टक प्रारंभ फाल्गुन शु.७	27 दुर्गाष्टमी फाल्गुन शु.८	28 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस फाल्गुन शु.९				

फरवरी 2023 त्यौहार

01 बुधवार	जया एकादशी	02 बृहस्पतिवार	प्रदोष व्रत	05 रविवार	माघ पूर्णिमा, अन्वाधान
06 सोमवार	इष्टि	09 बृहस्पतिवार	द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी	13 सोमवार	कुम्भ संक्रान्ति
16 बृहस्पतिवार	विजया एकादशी	17 शुक्रवार	वैष्णव विजया एकादशी	18 शनिवार	महा शिवरात्रि, प्रदोष व्रत
19 रविवार	दर्श अमावस्या, अन्वाधान	20 सोमवार	सोमवती अमावस, इष्टि, फाल्गुन अमावस्या	21 मंगलवार	फुलैरा दूज, चन्द्र दर्शन
		26 रविवार	भानु सप्तमी		

केशव संवाद

RNI No. UPHIN/2000/3766

ISSN No. 2581-3528

फरवरी, 2023

वर्ष : 23 अंक : 02

अणंज कुमार त्यागी

अध्यक्ष

प्रे. शो. सं. न्यास

संपादक

कृपाशंकर

कार्यकारी संपादक

डॉ. प्रियंका सिंह

संपादक मंडल

डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. अखिलेश मिश्र, डॉ. नीलम कुमारी, प्रो. अनिल निगम, डॉ. मनमोहन सिंह, अनीता चौधरी, अनुपमा अग्रवाल, अमित शर्मा

पृष्ठ संयोजन

वीरेंद्र पोखरियाल

संपादकीय कार्यालय

प्रेरणा शोध संस्थान न्यास

सी-56/20 सेक्टर-62, नोएडा -201301

फोन न. 0120 4565851, 2400335

ईमेल : keshavsamvad@gmail.com

वेबसाइट : www.premasamvad.in

स्वामी पंकज कुमार की ओर से मुद्रक/प्रकाशक सुखवीर प्रकाश द्वारा चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि. नोएडा से मुद्रित तथा केशव भवन 105, आर्यनगर सूरजकुंड रोड मेरठ से प्रकाशित

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा मेरठ की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में मान्य होगा। संपादक

विषय सूची

खगोल से भूगोल तक बेजोड़ है भारतीय ग्राम संस्कृति	– डॉ. नीरज कर्ण सिंह	05
भारत का सांस्कृतिक वैभव (कवर स्टोरी)	– आर एस डी चातक	06
उपभोक्ता संरक्षण	– सतीश शर्मा	08
महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच में परिवर्तन...	– सोनम लववंशी	10
शिवप्रिया सती की कहानी	– नरेन्द्र भदौरिया	11
बजट अगले चुनाव के साथ भावी विकास का विजन भी	– मनोहर मनोज	12
अल्पसंख्यकवाद से मुक्ति पर विचार हो	– डॉ. सौरभ मालवीय	14
सामाजिक कुरीति और उन्मूलन	– नीलम भागी	15
ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में मनायी गई स्वामी...	– डॉ. वेद व्यथित	17
वीर सावरकर : राष्ट्र का सच्चा किन्तु विस्मृत नायक	– प्रीता पंवार	18
परिवार व्यवस्था को अधिक संस्कारवान बनानेकी...	– सुनीता निगम	20
अनुसंधान और नवाचार से मोदी सरकार विकास को...	–पंकज जयस्वाल	22
उत्तर प्रदेश में लिखा जा रहा निवेश का नया अध्याय	– मृत्युंजय दीक्षित	24
उत्तराखण्ड में डेमोग्राफी बदलने का षडयंत्र है...	– बिभाकर झा	26
कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका...	– प्रहलाद सबनानी	28
भारत के बनें और भारत को बनाएं	– तपन कुमार	30
कब रुकेगा सनातन का अपमान	– ललित शंकर	33
मीडिया सुर्खियां	– प्रतीक खरे	34
पत्रिका के जनवरी अंक की समीक्षा	– डॉ. प्रियंका सिंह	35

पाठकगण पत्रिका के बारे में अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया,'संपादक के नाम पत्र' शीर्षक से ई-मेल (keshavsamvad@gmail.com) के माध्यम से भेज सकते हैं। चुने हुए पत्रों को पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जायेगा।

ISSN No. 2581-3528

संपादकीय.....

भारत विकासशील देश से विकसित देश बनने की ओर बढ़ रहा है। विशाल और उन्नत प्रौद्योगिक संस्थान, नवीन तकनीकी हेतु विज्ञान संस्थान और सूचना प्रदान के लिए नए संस्थान खुल रहे है व विकसित हो रहे है। कौशल विकास समाज और संस्कार के लिए वरीयता बन रहा है एवं नवाचार को प्रोत्साहन दिया गया है। नेतृत्व पर युवा पीढ़ी का विश्वास पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है व राष्ट्रव्यापी तकनीकी ढांचा विकसित करने का लगातार प्रयास चल रहा है। हमारे प्रवासियों ने विश्व के विभिन्न देशों में अपने ज्ञान व कौशल से अपने-अपने देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर वह अपना एक अलग ही स्थान बना लिया है। आज ये प्रवासी भारतीय न केवल वहाँ जहाँ ये रहते है बल्कि भारत के विकास करने में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखते हैं। प्रवासी भारतीयों द्वारा विद्वेषण के जरिए अधिक राशि भेजने से भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार लगातार बढ़ रहा है जो कि भारतीय रुपए को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता प्रदान करने में मददगार साबित हो रहा है जो भारत में अर्थव्यवस्था को गति एवं मजबूती प्रदान करने में सहायक है। इससे भारत में नया निवेश बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। पूरे विश्व में विभिन्न देशों द्वारा वित्त प्रेषण के जरिए प्राप्त की जा रही राशि की सूची में भारत का प्रथम स्थान बना हुआ है। शिक्षा प्रणाली में बदलाव हो रहा है और भारत की सांस्कृतिक वैभवता को भी विश्व में मान्यता मिल रही है। आयुर्वेद तथा योग का प्रचार व प्रसार पूरे विश्व मे हो रहा है तथा आयुर्वेद में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। योग को बड़ी संख्या में उसको उपयोग करने वाले लोग आगे आ रहे हैं। कोरोना महामारी के समय सरकार ने जिस कुशलता से प्रबन्धन किया आज सम्पूर्ण विश्व उसकी तारीफ कर रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीकाकरण अभियान को तीन चरणों में चलाया, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया, उसके बाद फ्रंटलाइन कार्यकर्ता तथा आवश्यक सेवाकर्मी और उसके बाद 50 वर्ष से अधिक और अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों का टीकाकरण किया। महीनों की योजना, जिसमें किसी भी प्रकार की शंकाओं को दूर करने के लिए पूर्वाभ्यास शामिल है, से पहले कोविड -19 टीकाकरण के समय एक नई आशा और ऊर्जा देखी गई। वैज्ञानिको व डाक्टरों ने मिलकर इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र सभा में योग की महिमा बताई और विश्व योग दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। यह हमारे लिए गौरव की बात है। विदेशों में योग के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। हम रक्षा के उपकरण बनाने लगे हैं और विदेशों में भेजने लगे हैं। धीरे-धीरे वह दिन दूर नहीं जब हम अत्यधिक जटिल प्रणाली, सेंसर, हथियार और जिनमें गोला-बारूद शामिल हैं। ये हैं- हल्के टैंक, माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम (155एमएमx52सीएएल), पिनाका एमएलआरएस के लिए गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज (जीईआर) रॉकेट, नौसेना के उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर (एनयूएच), नई पीढ़ी की अपतटीय पेट्रोल पोत (एनजीओपीवी), एमएफ स्टार (जहाजों के लिए रडार), मध्यम रेंज की पोत-रोधी मिसाइल (नौसेना संस्करण), अत्याधुनिक हल्के टॉरपीडो (शिप लॉन्च), उच्च सहनशील स्वायत्त अंडरवाटर वाहन, मध्यम ऊंचाई की अधिक सहनशक्ति मानव रहित हवाई वाहन (मेल यूएवी), विकिरण रोधी मिसाइल और लॉटरिंग युद्ध सामग्री शामिल हैं। हवाई जहाज,नई-नई तकनीक के मिसाइल विदेशों में निर्यात करेंगे, भारत नए यूग मे प्रवेश कर रहा है। भारत का युवा जो पहले रोजगार तलाश करता था अब धीरे-धीरे रोजगार के अवसर देने वाला बनता जा रहा है। नए नए उद्योग नए कारखाने हमारे देश में लगने आ रहे हैं। विश्व की कई बड़ी कम्पनियां भारत में आपना कारोबार शुरू कर चुकी है और कुछ करने जा रही हैं। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति पर चल कर भारत एक बार फिर विश्व गुरू बनने की ओर अग्रसर है।

संपादक

ISSN No. 2581-3528

खगोल से भूगोल तक बेजोड़ है भारतीय ग्राम संस्कृति

डॉ. नीरज कर्ण सिंह

जम्बू दीप, भरत खंडे, भारत वर्ष, फिर ग्राम, जिसके बाद ग्राम देवता और अंत में गोत्र तथा व्यक्ति का नाम यह है भारतीय संस्कृति का सामवेशिक परिवेश। परिवेश जिसमें मैं की कोई अवधारणा नहीं है। जो शुरू ही भव्यता से होता है और सूक्ष्म की बात करता है। ये भारतीय ग्राम का अभीष्ठ है जो विश्व को भी ग्राम और कुटम्ब मानता है। पूरा विश्व ग्राम है और हम उस ग्राम का कुनबा। जिस देश में यह भाव जड़वत हो उस देश और संस्कृति को खगोलीय संस्कृति ही कहा जा सकता है। वह किसी देश या उसके किसी ग्राम तक सीमित नहीं हो सकती। वह विश्वव्यापी है और रहेगी। अंनत काल तक।

जब सुकोमलकांत कवि पंतजी कहते हैं कि ग्राम्यवासिनी भारत माता तो वे इस महान राष्ट्र की अंतसचेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। निश्चित ही भारतीय संस्कृति का मूलाधार ग्राम्य जीवन का लोक व्यवहार तथा परम्पराएं ही हैं। हालांकि इसमें समय के साथ जीवन मूल्यों तथा शैली में परिवर्तन आया है और यही नहीं ग्राम्य जीवन को प्राणवायु प्रदान करने वाली संस्कृति के आग्रह निर्बल हुए हैं, फिर भी पुरातनता के संस्कार कहीं न कहीं जीवित हैं। यह जीवंतता भारत की मूल अस्मिता का एक परिचय भी है। अंशतः मानसिक अनुशासन के तौर पर सांस्कृतिक प्रतिष्ठा आज की आधुनिकता में भी ग्रामीण जीवन में शेष है।

आधुनिकता का केंद्र अनास्था और बुद्धि है, पर ग्रामीण जीवन में प्रगति और परम्पराओं के मध्य एक समन्वय आज भी कायम है। यह सौभाग्य ही माना जाएगा कि ग्रामीण जीवन में भारतीय संस्कृति के विशिष्ट तत्व मूल्यवान जीवन तत्वों के रूप में आज भी गहराई तक समावेशित हैं जो उसके संस्कारों को वाणी प्रदान करते हैं। हालांकि आधुनिक अर्थशास्त्र में सहकारिता तथा समाजवाद जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया है पर बिना किसी परिभाषा के इन शब्दों का प्रतिपाद्य तथा अभीष्ठ ग्रामीण संस्कृति के आधार रहे हैं। एक–दूसरे का सहयोग ग्रामीण जीवन में आज भी स्थिर है। चाहे कोई संस्कार हो या फिर कृषि कार्य ही, कोई एक–दूसरे से पृथक नहीं होता। पहले खेत की बुवाई हो, या फिर फसल की कटाई, सहयोग के लिए सबके हाथ एक दूसरे से जुड़े होते थे। आज खेती यांत्रिक होती जा रही है, पर सहयोग का रूप बदल गया है, भाव कम नहीं हुए है। समाजवाद का सिद्धांत भारतीय संस्कृति में निहित परम्परागत तरीके से समाहित है जो ग्रामीण जीवन में आज तक अंशतः जीवित है। जो शिल्पकार भूमिहीन होते हैं और कृषकों की सहायता किसी न किसी रूप में करते हैं, उसको फसल का एक भाग वितरित किया जाता है। ऐसी समाजवादी अर्थ व्यवस्था विश्व में कहीं देखने को नहीं मिल सकती। इसके पीछे ऋग्वेद का यह संकल्प है कि स्वयं भोजन करने से पूर्व दूसरों के भोजन की व्यवस्था करो।

ग्रामीण बाला किसी एक की पुत्री नहीं होती, वह पूरे ग्राम की बेटी मानी जाती है। किसी भी जाति का हो, कोई सा भी धर्म हो, वह सबकी बेटी है। किसी भी बेटी का विवाह होने पर पूरे ग्राम में तैयारी होती है और बिना किसी आग्रह के सब अपने अपने दायित्वों का पालन करते हैं। यह वैशिष्टय भारतीय ग्रामीण संस्कृति को असाधारण बनाता है। सहजता ग्रामीण जीवन का स्वाभाविक संस्कार है। वह भारतीय संस्कृति का मूलाधार भी है। अहंकार रहित व्यवहार सहजता है, यह विशेषता ग्रामीण जीवन में हर जगह दिखाई देती है, चाहे जीवन शैली हो या फिर जीवन दृष्टि।

समय के साथ पारिवारिक जीवन के मानक बदल गए हैं। परिवार के वृद्ध उपेक्षित होने लगे हैं। जहां नगरों तथा महानगरों में वृद्ध जन एकाकी जीवन जीने के लिए विवश हैं वहीं पर हमारे ग्राम आज तक इस त्रासदी से मुक्त हैं। आज भी वृद्धों को पूरा सम्मान ग्रामीण जीवन में कायम है। यह भारतीय संस्कृति का महान आदर्श है जिसे ग्रामों ने वर्तमान तक जीवित रखा है।

यह सही है कि नव–परिवर्तित आर्थिक तथा बौद्धिक परिस्थितियां ग्रामीण जीवन में ज्ञात–अज्ञात वांछित और अपेक्षित मोड़ ले रही हैं। ग्रामों में नगरभाव प्रवेश कर रहा है पर संस्कृति के प्रति रागात्मक बोध आज भी कायम है। इसका प्रमाण यह है कि लोक गीतों तथा लोक परम्पराओं को संरक्षित करने के लिए नई पीढ़ी का एक वर्ग उत्साहित भी है। मैं ग्रामीण संस्कृति की जीवंतता के प्रति आशावान हूं क्योंकि भारत को जानने के लिए ग्रामों को जानना आवश्यक है जो विशिष्ट सांस्कृतिक धरातल पर राष्ट्र को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे हैं।

(लेखक पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं)

ISSN No. 2581-3528

कवर स्टोरी

भारत का सांस्कृतिक वैभव

आर एस डी चातक

किसी देश की विलक्षण भौगोलिक समृद्धि, ऐतिहासिक उत्कृष्टता और प्राचीन सभ्यता की अवधि में उत्पन्न और उत्तरोत्तर वैदिक युग में विकसित धर्म और स्वर्ण युग का प्रारम्भ तथा उसके अस्तगमन के साथ पुष्पित–पल्लिवत उसकी स्वयं की प्राचीन विरासत उसका सांस्कृतिक वैभव कहलाती है। इस वैभव से सम्पन्न देश में ही वैश्विक–प्रगति के मानदण्ड पर सर्वोत्कृष्ट आदर्श समाज की कल्पना करना सम्भव है। सम्यक प्रकार से क्रियान्वित समस्त कृतियों का समष्टि रूप ही संस्कृति है और इस संस्कृति से सम्पन्न देशों में भारत शीर्ष पर स्थित है। अथवा यह कहा जाये कि सम्पूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसका सांस्कृतिक वैभव अपेक्षाकृत अपूर्व और अन्यतम है तो कदाचित अतिशयोक्ति न होगी।

मानव की धर्म–बोध में स्थिरता और उसकी आदर्श प्रस्तुति ही भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है जिसके अनुसार समस्त मानव जाति के द्वारा अनिवार्य रूप से पालन करने योग्य कुछ सार्वभौमिक नियम सुनिश्चित हैं जिन्हें मानव धर्म या सामाजिक धर्म और सामासिक धर्म कहा जाता है। मानव का शैक्षणिक उन्नयन ही उसे धर्म की अनिवार्यता का ज्ञान प्रदान करता है और उसके अनुपालन में उसका मार्ग प्रशस्त करता है जिससे मानव की सामाजिक स्थिति एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती है जो अग्रिम पीढ़ी के लिए हस्तान्तरित करने योग्य धरोहर बनती है इसीलिए किसी भी सम्पन्नता का पात्र वही है जो शिक्षित है, जिसका विवेक जाग्रत है, और हमारा भारत देश शैक्षिक उन्नयन और विवेक की जागृति के सन्दर्भ में सर्वाधिक गति के साथ सक्रिय है इसमें रंचमात्र सन्देह नहीं।

अन्य देशों की अपेक्षा भारत देश सांस्कृतिक वैभव की दृष्टि से अपनी विचित्र और अपूर्व स्थिति के कारण सबसे पृथक महत्त्व रखता है। इसके दोनों पक्ष–भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति इस देश की सम्पन्नता को अधिक आकर्षक बनाते हैं। मानवीय व्यक्तित्व की श्रेष्ठता और संसाधनों का प्राचुर्य व उनका सदुपयोग–इस वैभव की समृद्ध आधार शिला हैं जिनके कारण देश का सर्वांगीण विकास द्रुत गति से हो रहा है। देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक समरसता, सर्वधर्म समभाव, परस्पर सौहार्द्र और सहयोग की भावना तथा आध्यात्मिक चिन्तन इस वैभव को निर्विघ्न और निष्कलुष बनाते हैं। धर्म, अध्यात्म, ललित कला, ज्ञान–विज्ञान, विविध विधाएँ, नीति, विधि–विधान, जीवन प्रणाली और वे समस्त क्रियाएँ और कार्य हैं जो इस वैभव को विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं। जिन्होंने भारत के सामाजिक और राजनैतिक चिन्तन को धार्मिक और आर्थिक जीवन के साहित्यिक, शिष्टाचार और नैतिकता का स्वरुप प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थापित की है।

विद्वानों के अनुसार संस्कृति सीखा हुआ वह व्यवहार है जो समाज को उसकी दिशा देता है। यह सांस्कृतिक वैभव अग्रिम पीढ़ी के लिए हस्तान्तरित होने वाला वैभव है। अर्थात् इसी गुण के कारण ही संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है तो उसमें पीढ़ी–दर–पीढ़ी के अनुभव और सुझाव सम्बद्ध होते जाते हैं और यह सम्बद्धता ही भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है जो एक अक्षुण्य वैभव के रूप में देश को सुदृढ़ और कालजयी जीवन प्रदान करती है।

भारत का भौतिक सांस्कृतिक वैभव जहाँ प्राणि–जगत की स्थूल आवश्यकताओं का पोषण करता है तो वहीं अभौतिक सांस्कृतिक वैभव मानव की उस आवश्यकता को पूर्ण करता है जिसे हम संसार में रहते हुए भी उससे विरक्त होने की जिज्ञासा रखते हैं और इसीलिए कहा गया है कि भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार 'आत्मा' है। शरीर और मन के शुद्धि की प्राथमिक आवश्यकता मानव को अध्यात्म के लिए तैयार करती है। इसीलिए जब तक मनुष्य अन्तर्बाह्य से विशुद्ध नहीं होता तब तक असंगत और अप्रासंगिक

ISSN No. 2581-3528

विचारों को भी वह उचित ही समझता है।

भारतीय संस्कृति का विकास धर्म का आधार लेकर हुआ है इसीलिए इसमें अपेक्षाकृत दृढ़ता है। जिसका कारण यह है कि भारतीय संस्कृति का आदि स्रोत वैदिक दर्शन है। इसी दर्शन से इस संस्कृति का विकास हुआ जिसका स्पष्ट प्रमाण भारतीय जीवन प्रणाली है जिसमें परस्पर सम्बन्धों की पूर्ण शुचिता है। आहार–विहार, वेश, उपदेश, भाषा, अभिव्यक्ति, योग साधना, जीवन निर्वाह के कार्य क्षेत्र, प्रथाएँ, परम्पराएँ, धार्मिक और नैतिक परिभाषाएँ, जीवन यापन के उद्देश्य, स्वार्थ और परमार्थ के सन्दर्श, सौहार्द और सौजन्यता के मापदण्ड इतने विशुद्ध और सजीव हैं जिसकी तुलना में अन्य देश कदाचित जड़ पदार्थ ही प्रतीत होते हैं जिनमें न परस्पर संवेदना है और न ही स्नेह–सौहार्द। पशुता और असभ्यता के जो उदाहरण अन्य देशों में अधिकार माने जाते हैं वे ही उदाहरण भारतीय संस्कृति में पाप, कुकृत्य और दानवता जैसे शीर्षक के पर्याय हैं। जो संवेदना, स्नेह की प्रवृत्ति और आस्था के मानक भारतीय संस्कृति में हैं उनका अन्यत्र होना लगभग असम्भव है।

भारतीय संस्कृति की सम्पन्नता में उन समस्त आर्ष–ग्रन्थों का प्रमुख सहयोग है जो मानव को सांसारिक बन्धन से मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग की शिक्षा देते हैं। आख्यानों–उपाख्यानों और कथाओं– अन्तर्कथाओं के माध्यम से मानवीय गुणों का विकास और सामाजिक सामंजस्य की व्यवस्था देने वाले ग्रन्थ भी भारतीय संस्कृति के अजस्र स्रोत हैं। वर्तमान सिद्धान्त, नियम–निर्देश और आदर्शों में यत्किंचित संशोधन की सामयिक आवश्यकता प्रतीत हो भी सकती है किन्तु वैदिक दर्शन का एक भी नियम–निर्देश किसी भी प्रकार से कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। तो इसी दर्शन से उद्भूत भारतीय संस्कृति का मानदण्ड कभी कुतर्क का विषय बन सकेगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कालजयी संस्कृति ही भारत का अक्षुण्य सांस्कृतिक वैभव है जो सर्वथा और सर्वदा इस भारत देश को विश्व के पटल पर सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापित किये रहेगा।

सांस्कृतिक हस्तान्तरण का एक प्रमुख तत्व 'संकेत' भी है। हम विभिन्न प्रकार के संकेतों का आश्रय लेकर अपने विचारों और भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। संकेतों के माध्यम से हमारे विचारों का आदान–प्रदान केवल मनुष्यों के मध्य ही नहीं होता अपितु संकेत के द्वारा कभी–कभी पालतू पशुओं तक भी विचारों का संचार होता है। यह सांस्कृतिक वैभव प्रत्येक सन्तुलन को पोषित करता है। इसके तीनों घटक– संज्ञानात्मक, आदर्शात्मक और भौतिक हैं जो सर्वत्र सन्तुलन स्थापित करने में परम सहायक हैं। इसी भाँति भारतीय संस्कृति के समस्त पहलू– सीखी हुई, संयुक्त, प्रतीकात्मक, एकीकृत, अनुकूली और गतिशील हैं जो प्राणि–जगत में प्रत्येक स्तर पर अपनी भूमिका का समुचित निर्वहन सुनिश्चित करते हैं। संस्कृति के इन्हीं घटकों और पहलुओं के परिणाम से जो स्थिति उत्पन्न होती है वही उसका वैभव है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के सांस्कृतिक वैभव में वह सामर्थ्य और गुणवत्ता है जो एक वृहद समाज को उसके सर्वांगीण विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए पर्याप्त क्षमता से सम्पन्न है।

उपरोक्त समस्त तत्वों, पहलुओं, अंगों और संकेतों को अग्रिम पीढ़ी तक ले जाने वाला प्रमुख वाहन 'भाषा' है। गहन अनुभव पर केन्द्रित ज्ञान जैसी अमूर्त सम्पत्ति के हस्तान्तरण का सर्वोत्तम साधन स्थानीय भाषा ही होती है। ज्ञान के अभाव में मानव समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। समाज में जितने भी प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं वे सभी संस्कृति के अंग हैं अथवा यह कहा जाये कि सांस्कृतिक वैभव का प्रमुख रूप हैं तो सम्भवतः अनुचित भी नहीं होगा। मानव–शास्त्र, समाज–शास्त्र, शिक्षा–शास्त्र, चिकित्सा–शास्त्र, अर्थ–शास्त्र, धर्म–शास्त्र और विज्ञान के समस्त आयामों के जो ज्ञान हैं वे सभी संस्कृति ही हैं। सांस्कृतिक वैभव ही हैं। इस वैभव के अभाव में मानवीय सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ज्ञान का वैभव वह प्रकाश है जिसमें हम जड़–चेतन, सजीव–निर्जीव में अन्तर समझ सकते हैं।

विद्वानों ने संस्कृति के विकास के लिए–इस वैभव को अक्षुण्य रखने के लिए अनेकों प्रयास किये हैं जिनमें साहित्य–सृजन, प्रेरक कथाओं का सजीव मंचन, ऐसे अनेकों प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, न्यासों और धार्मिक स्थलों का निर्माण, शैक्षिक केन्द्रों का निर्धारण, सदुपदेश और सुधारवादी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, सर्वधर्म समभाव और धार्मिक व नैतिक मूल्यों के संरक्षण में सहयोगी न्यायपीठों की स्थापना आदि ऐसे कार्य हैं जो अन्ततः भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए ही कार्य करते प्रतीत होते हैं। संस्कृति का अनुपालन ही मानव को उदार और अहिंस्र बनने के लिए प्रेरित करता है। भारत का सांस्कृतिक वैभव ही वह शक्ति है जो मानवता की सुरक्षा में काम आता है। मानव को दानव बनने से रोकता है। पाशविक प्रवृत्ति से मुक्त कर देवत्व स्थापना में उपयोगी बनता है। मानव की भव्यता को दिव्यता में परिणत करता है। यह ऐसा वैभव है जो मानव को नारकीय जीवन से पृथक कर स्वर्गिक जीवन की यात्रा का मूल्य बनता है। यही वह वैभव है जो आत्म तत्व को परमात्म तत्व से तादात्म्य कराने का सशक्त माध्यम है। यह वह वैभव है जो मानव को कूटनीतिक परम्परा से मुक्त कर नैतिक मूल्यों का पर्याय सिद्ध होता है।

वैदिक दर्शन से उद्भूत यह सांस्कृतिक वैभव वर्तमान के उच्छृंखल और धूर्त अभिलाषाओं का अध्याय नहीं है। यह वैभव कपट और निरा स्वार्थ से निबद्ध पदलोलुप वितृष्णा का कलुषित रूप भी नहीं है। यह सांस्कृतिक वैभव न तो सत्ताधीशों का निरंकुश साम्राज्य है और न ही भ्रष्टाचार में निमग्न दानवों का संरक्षण ही करता है। यह वैभव वह धन–सत्ता नहीं है जिसके प्रयोग से किसी निर्दोष को अतिक्रमण की अग्नि में जीवित ही डाला जा सके। यह वैभव वह अमूर्त कोश है जो परहित और पवित्र स्वार्थ में जितना ही व्यय किया जाये उसमें उतनी ही गुणात्मक वृद्धि होती है। यही वह वैभव है जो मानवता के शुभ्र इतिहास का प्रत्यक्ष साक्षी है। इस वैभव के संग्रह के लिए मानव को अमर्यादित भूमिका में प्रवेश नहीं करना पड़ता है। यही सांस्कृतिक वैभव मानव का वह आदर्श वैभव है जो यश और पद की लिप्सा में नारीत्व और पुरुषत्व को नंगा होने से बचाता है। यही वैभव मानव को कण–कण में ईश्वर के दर्शन करने की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रत्येक बालक में राम–कृष्ण और प्रत्येक बाला में सीता–राधा की छवि देखता है। इसी वैभव की सुरक्षा में ऋषि, मुनि, देव–पुरुष, कवि, धर्म गुरु, समाज के शुभचिन्तक आदि अपने अपने ढंग से निरन्तर प्रयास करते रहे हैं। यही भारत का सांस्कृतिक वैभव भविष्य तक...अनन्त तक... पीढ़ी–दर–पीढ़ी तक कभी न घटने वाला वह परम धन है जिसकी सम्पन्नता नर को नारायण बना देती है।

(लेखक शिक्षाविद् एंव रचनाकार हैं)

ISSN No. 2581-3528

उपभोक्ता संरक्षण

सतीश शर्मा

अपनी हर छोटी बड़ी आवश्यकता के लिए हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। खाना, पहनना, रहना व जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर स्वस्थ शिक्षा यानि कि सभी वस्तु व सेवा आदि के लिए हम बाजार पर आश्रित होते हैं। आज कल हम देखते हैं कि व्यापार करने का तरीका, क्रिया कलाप, नए तरीके व प्रचार करने का तरीका, समाज को प्रभावित करता है। कई बार देखने में आता है कि आधुनिक प्रचार के तरीको से व नई नई विकसित हुई बिक्री की प्रणालियों से उपभोक्ता भ्रमित हो जाता है व अपने को ठगा महसूस करता या ठगा जाता है। सरकारें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर कानून बनाती है जैसे 'खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम', आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, दि इन्डियन स्टैंडर्स इंस्टीट्यूशन एक्ट, दि एक्सपोर्ट क्वालिटी एण्ड कन्ट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट। ऐसे अनेक कानून सरकार समय–समय पर बनाती रहती है। इस प्रकार हम देखते है कि सरकारों के लाये इन सभी प्रावधानों का एक मात्र उद्देश्य है कि उपभोक्ता के हितों को संरक्षित करना। इसके आलावा भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को लागू किया है। भारत सरकार ने 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया है, 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व्यापार और उद्योग के शोषण से उन लोगों के अधिकारों और हितों को बचाने के लिए बनाया गया है जो किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ता है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो अपने प्रयोग हेतु वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदता है उपभोक्ता है। कोई भी व्यक्ति जो उत्पादों या सेवाओं को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदता है न कि निर्माण या पुनर्विक्रय के लिए उपभोक्ता कहलाता है। या इस प्रकार समझें कि उपभोक्ता वह होता है जो निर्णय लेता है कि किस बाजार/दुकान से कोई वस्तु खरीदनी है या नहीं, या विज्ञापन और विपणन से प्रभावित कोई व्यक्ति जो बाजार/दुकान से वस्तु खरीदता है, सेवा प्राप्त करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–1986 में उपभोक्ताओं को उनके हितों की सुरक्षा हेतु उनके अधिकारों के लिए कानून बनाए गए हैं। इस अधिनियम में 2019 को परिवर्तन किया जिसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण

अधिनियम, 2019 (The Consumer Protection Act, 2019) की धारा 88, 90, 91 आपराधिक प्रावधान का उल्लेख करती है। 88, 90, 91 धाराओं के अतंर्गत अधिनियम में कुछ धाराओं को अपराधिक धारा बनाया है और उनके लिए दंड तय किये गये हैं। यह अधिनियम एक सिविल कोर्ट का अधिनियम है पर कुछ धारा अपराधी को दंड देने का भी प्रावधान करती हैं। 2020 में भी संशोधन किया जिसके द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम का नाम बदलकर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कर दिया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए हैं। सुरक्षा का अधिकार, संसूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, प्रतितोष पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। धारा 10– जिला फोरम का स्वरूप तय करती है कि प्रत्येक जनपद में जिला जज की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की अध्यक्षता में जिला फोरम का गठन किया जायेगा जिनमें अन्य दो सदस्य होगें और उनमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा। इस अधिनियम द्वारा पूरे भारतवर्ष में उपभोक्ता मंच (कंज्यूमर फोरम) अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की गई। इसने उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से सशक्त बनाया है। जब ग्राहक दुकानदार/सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जा रही वस्तु/सेवा से असंतुष्ट होते हैं, तो वे चार प्रकार के शिकायतकर्ताओं में से एक होंगे; आक्रामक, अभिव्यंजक, निष्क्रिय या रचनात्मक।

जैसा कि हम जानते हैं भारत के लोग बड़े ही सहनशील, दयावान व कृपालु होते हैं। बहुत कम संख्या में लोग शिकायत करते हैं। यही कारण है कि बहुत कम लोग कन्ज्यूमर कोर्ट जाते है। सामाजिक संगठनों के प्रयास के कारण भारत में धीरे–धीरे उपभोक्ता आंदोलन जोर पकड़ रहे हैं व उपभोक्ता को जागरूक कर रहे हैं। उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने से है। उत्पादक एवं विक्रेता उपभोक्ताओं का कई प्रकार से शोषण करते हैं, जैसे–कम तौलना, अधिक कीमत लेना, बिल न देना, मिलावट करना, नकली वस्तु देना आदि। उपभोक्ता जागरूकता ही उन्हें उत्पादकों एवं विक्रेताओं के शोषण से बचाती है। सरकारें भी इस दिशा में सार्थक कदम उठा रही हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायत लिखित रूप में आयोग के समक्ष दर्ज करवा सकता है, परंतु 2019 के अधिनियम के आने के पश्चात् अब उपभोक्ता शिकायत https://edaakhil.nic.in/index.html लिंक पर भी जा कर दर्ज कर सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके प्रतिनिधि द्वारा भी शिकायत दर्ज की जा सकती है, हेल्पलाइन नंबर 1800–11–4000 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं आगे दिए नम्बर पर SMS करके शिकायत की जा सकती है – 8800001915 या 1915, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप और उमंग एप पर भी उपभोक्ता द्वारा शिकायत की जा सकती है। शिकायत करने के लिए उपभोक्ता एक सादा कागज पर अपनी शिकायत को पूरे विवरण के साथ लिखें, जिसमें शिकायत में आरोपों का पूरा विवरण हो तथा शिकायत करते हुए शिकायत के साथ उपभोक्ता को ऐसे दस्तावेजों की कॉपी देनी होगी जो उसकी शिकायत से सम्बन्धित हो

ISSN No. 2581-3528

इनमें कैश मेमो, रसीद, एग्रीमेंट्स आदि हो सकते हैं, शिकायत की चार प्रति लेकर जानी चाहिए शिकायत की तीन कॉपी जमा करानी होती हैं एक कापी पर वो पावती देते हैं। सरकार द्वारा लाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अतंर्गत Consumer Forum में केवल उपभोक्ता ही शिकायत कर सकते हैं दुकानदार/सेवा प्रदाता नही। जिला उपभोक्ता फोरम में कोई भी उपभोक्ता 5 लाख रुपए तक के दावेके लिए निःशुल्क आवेदन कर सकता है। इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, जिला फोरम वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य और मुआवजा, यदि कोई हो, का दावा किया जाता है। साधारणतया उपभोक्ताओं की निम्नलिखित शिकायतें जैसे कि उत्पादों के झूठे विज्ञापन, विभिन्न सेवाओं में कमी, एक्सपायर्ड उत्पादों की बिक्री, धोखाधड़ी, छूट के मुद्दों और इसी तरह की अन्य शिकायतों के बारे में शिकायत होती है। शिकायत तब ही की जा सकती है जब विक्रेता या सेवा प्रदाता कानूनी नोटिस के बाद भी समस्या को सुधारने में विफल रहता है।

2021 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जो निम्नलिखित – केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र) नियम, 2021 अधिसूचित किए। उपभोक्ता शिकायतों को देखने के लिए संशोधित आर्थिक अधिकार क्षेत्र इस प्रकार होंगे– 1) जिला आयोगों के लिए 50 लाख रुपये 2) राज्य आयोगों के लिए 50 लाख रुपये ज्यादा से लेकर 2 करोड़ रुपये 3) राष्ट्रीय आयोग के लिए 2 करोड़ रुपये से ज्यादा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 34 की उप धारा (1), धारा 47 की उप धारा (1) के खंड (ए) के उपखंड (पि) और धारा 58 की उप धारा (1) के खंड (ए) के उपखंड (पि) के साथ ही धारा 101 की उप धारा (2) के उपखंड (ओ), (एक्स) और (जेडसी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र) नियम, 2021 अधिसूचित कर दिए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए तीन स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की घोषणा करता है, जिनमें जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग शामिल हैं। अधिनियम उपभोक्ता आयोग के हर स्तर के आर्थिक क्षेत्राधिकार को भी निर्धारित करता है। अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, जिला आयोगों को उन शिकायतों को देखने का अधिकार है, जहां वस्तु या सेवाओं का मूल्य एक करोड़ रुपये से ज्यादा न हो। राज्य आयोगों के अधिकार क्षेत्र में वे शिकायतें आती हैं, जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो, लेकिन 10 करोड़ रुपये से ज्यादा न हो। वहीं राष्ट्रीय आयोग उन शिकायतों पर विचार करेगा, जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान का मूल्य 10 करोड़ रुपये से ज्यादा हो। अधिनियम के लागू होने के साथ, यह देखा गया कि उपभोक्ता आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार से संबंधित मौजदा प्रावधानों के चलते ऐसे मामले सामने आ रहे थे, जो राष्ट्रीय आयोग से पहले राज्य आयोग में दायर किए गए थे और जो राज्य आयोग से पहले जिला आयोग में दायर किए गए थे। इसके चलते जिला आयोगों पर काम का बोझ खासा बढ़ गया, जिसे लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई और निस्तारण में देरी हो रही थी। इससे अधिनियम के तहत परिकल्पित उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था। आर्थिक क्षेत्राधिकार में संशोधन के साथ, केन्द्र सरकार ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, उपभोक्ता संगठनों, काननू के जानकारों आदि के साथ व्यापक विचार विमर्श किया और लंबित मामलों के चलते पैदा हुई समस्याओं की विस्तार से जांच की। उपरोक्त नियमों के अधिसूचित होने के साथ, अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ नए आर्थिक क्षेत्राधिकार इस प्रकार होंगे – जिला आयोगों के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी, जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपये से ज्यादा न हो। राज्य आयोगों के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी, जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपये से ज्यादा हो, लेकिन 2 करोड़ रुपये से ज्यादा न हो। राष्ट्रीय आयोगों के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी, जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 2 करोड़ रुपये से ज्यादा हो। उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 कहता है कि हर शिकायत का जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाएगा और विपक्षी पार्टी को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर शिकायत पर फैसला करने का प्रयास किया जाएगा, जहां शिकायत के कमोडिटीज के विश्लेषण या जांच की जरूरत न हो और यदि कमोडिटीज के विश्लेषण या जांच की जरूरत होने पर शिकायत के निस्तारण की अवधि 5 महीने होगी। अधिनियम शिकायतों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत दर्ज करने का विकल्प देता है।

उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा देने के लिए, केन्द्र सरकार ने ई–दाखिला पोर्ट बनाया है जो देश भर के उपभोक्ताओं को सुविधाजनक रूप से संबंधित उपभोक्ता फोरम से संपर्क करने, यात्रा करने और अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए वहां मौजूदगी की जरूरत को समाप्त करने के उद्देश्य से एक झंझट मक्त, त्वरित और किफायती सुविधा प्रदान करता है। ई–दाखिला में ई–नोटिस, केस दस्तावेज डाउनलोड लिंक और वीसी सुनवाई लिंक, विपक्षी पार्टी द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने, शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्युतर दाखिल करने और एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजने जैसी कई खूबियां हैं। वर्तमान में, ई–दाखिल की सुविधा 544 उपभोक्ता आयोगों को उपलब्ध हैं, जिसमें 21 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय आयोग और उपभोक्ता आयोग शामिल हैं। अभी तक, ई–दाखिल पोर्टल के इस्तेमाल से 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं और 43,000 से ज्यादा उपयोगकर्ताओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। उपभोक्ता विवादों को निपटाने का एक तेज और सौहार्दपूर्ण तरीका उपलब्ध कराने के लिए, अधिनियम में उपभोक्ता विवादों को दोनों पक्षों की सहमति के साथ मध्यस्थता के लिए भेजने का प्रावधान है। इससे न सिर्फ विवाद में शामिल पक्षों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी मदद मिलेगी।

हम सबको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा जब भी हम कोई वस्तु खरीदें तो यह आवश्यक है कि उस वस्तु की रसीद अवश्य लें और वस्तु की गुणवत्ता जांच ले जिस ब्रांड की मांगी है वही है देख लें, मात्रा चैक करें, शुद्धता, मानक, माप–तौल, उत्पाद या निर्माण की तिथि, उपभोग की अन्तिम तिथि गारंटी या वारंटी के पेपर, गुणवत्ता का निशान जसै ISI, एगमार्क, हॉलमार्क इत्यादि जरूर देखें। अगर कही कुछ भी गलत होता है तो तुरन्त शिकायत करें क्योंकि जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता।

(लेखक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जोएडा केशव भाग के संघचालक हैं)

ISSN No. 2581-3528

महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच में परिवर्तन समय की मांग'

सोनम लवंशी

आज महिलाएँ पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं हैं। घर से लेकर युद्ध के मैदान तक हर जगह महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। लेकिन अब भी महिला उत्पीड़न एक ऐसी समस्या है! जो दारुण बनी हुई है। विगत कुछ महीनों में हुए घटनाक्रम को ही देख लीजिए? कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के अनगिनत टुकड़े कर देता है, तो कोई लड़कियों पर तेजाब (छपाक) फेंक रहा है। बर्बर सामूहिक बलात्कार, कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसी घटनाएं आम हो चली हैं। इतना ही नहीं आजकल हमारा समाज इस कदर बिगड़ता जा रहा है कि मासूम बच्चियों तक को हवस का निवाला बनाने से लोग बाज नहीं आ रहें हैं। नवम्बर 2022 में एक खबर लगभग हर समाचार–पत्रों की सुर्खियां बनी कि एक 12 साल की बच्ची माँ बनी। बच्ची रेप पीड़ित थी! कुछ मामले ऐसे भी हैं, जहां पिता ही अपनी बच्ची का दुष्कर्म करते हैं। ऐसे में आज नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ कानून से ऐसे कुकृत्यों को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा और उत्पीड़न को लेकर विभिन्न शोध हुए हैं। जो इस तरफ इशारा करते हैं कि नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देकर उत्पीड़न के मामलों में कमी लाई जा सकती है। 'महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा व विद्यालयी उत्पीड़न का समाजशास्त्रीय अध्ययन' करते हुए कुमारी अल्का कहती हैं कि स्वच्छ समाज की स्थापना के लिए नैतिक शिक्षा बेहद जरूरी है। वैसे भी 16 दिसम्बर 2012 को घटित हुए निर्भया कांड को आखिर कौन भूला है? उस समय 23 साल की लड़की से किये गये सामूहिक बलात्कार ने समूचे देश को झकझोर दिया था! जिसके बाद कानूनों में बदलाव की पुरजोर मांग उठी। बढ़ती तेजाब की घटनाओं के मामले में भी यही रुख दीप्तिमान हुआ। सरकार ने कानूनों में पर्याप्त बदलाव भी किए, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है और महिलाओं में असुरक्षा की भावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।

ऐसे में वक्त की मांग है कि नैतिक मूल्यों के संवर्धन की दिशा में हमारा समाज बढ़ें। शिक्षा ऐसी हो जो डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक तो तैयार करे, लेकिन हमारे पौराणिक संस्कार और शोषणमुक्त, न्यायसंगत समाज के निर्माण में योगदान करे। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमंते तत्र देवता।' सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। आज महिलाएं जब हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं, तो उन्हें स्वच्छ और स्वच्छंद वातावरण मुहैया कराना समाज

और सरकार का दायित्व होना चाहिए।

वर्तमान परिस्थितियों की दुःखती रग यह है कि कई मामलों में उत्पीड़न के दोषी अपने करीबी ही होते हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि स्त्री समाज भी अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज बुलंद करे, क्योंकि दोषी के व्यवहार में बदलाव लाना आवश्यक होता है, न कि पीड़ित के। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत के 96 प्रतिशत बलात्कार के मामलों में महिला के जान–पहचान वाले ही हिंसा में शामिल होते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 30,571 ऐसे मामले दर्ज किए गए जिनमें हिंसा करने वाले स्त्रियों के सगे–सम्बंधी या जान–पहचान वाले लोग ही शामिल रहे। 2,424 मामलों में महिला के परिवार के किसी सदस्य ने ही उनके साथ बलात्कार किया। इसके अलावा पारिवारिक मित्र, पड़ोसी या अन्य जानकार द्वारा किए गए रेप के 15,196 मामले दर्ज किए। महिला के मित्र, लिव इन पार्टनर, अलग हुए पति और शादी के वादे के बहाने बलात्कार के 12,951 मामले दर्ज किए।

गौरतलब हो कि किसी परिचित द्वारा बलात्कार के दर्ज मामलों में राजस्थान सबसे ऊपर रहा। जहां रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 6074 मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े इस बात को गलत साबित करते हैं कि महिलाएं अपने घर और अपनों के बीच सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। बदलती जीवनशैली के साथ लोगों की नैतिक सोच और मूल्यों में ह्रास आ रहा है। जिसमें सुधार बेहद जरूरी है, क्योंकि 12 साल की लड़की दुष्कर्म की वजह से एक बच्चें की मां बन जाए तो यह समाज की सोच पर कालिख पोतने की स्थिति है। किसी लड़की पर तेजाब फेंककर उसके जीवन जीने की स्वतंत्रता का हनन करना किसी का न तो अधिकार हो सकता है और न ही ऐसा कदम किसी को उठाने का कोई हक है! ऐसी घटनाएं विधर्मी प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा ही की जा सकती है। जिन्हें सही रास्ता दिखाने और समाज से विकृत मानसिकता का दमन करने के लिए जरूरी है कि नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए। समाज को सही राह दिखाने के लिए नैतिक मूल्यों का संवर्धन किया जाना आवश्यक है। हमें अपने अतीत को देखते हुए उस समय के मूल्यों को आत्मार्पित करने की तरफ बढ़ना होगा। वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बेहद सुदृढ़ थी। स्त्री–पुरुष दोनों समाज में समता के साथ रहते थे। ऐसे में आज हम अपने अतीत को क्यों भूलते जा रहें हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। कई मामलों में रहनुमाई व्यवस्था ने महिलाओं के हक में नियम–कानून बनाकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास भले ही किया हो, लेकिन यह पूर्ण रूप से तभी संभव है। जब समाज भी नैतिकता की राह पर चले और मातृ शक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखे।

(लेखिका स्वतंत्र लेखिका एवं शोधार्थी हैं)

ISSN No. 2581-3528

शिवप्रिया सती की कहानी

नरेन्द्र भदौरिया

जिस भूखण्ड को वर्तमान काल में कश्मीर कहते हैं वहीं के राजा थे परम प्रतापी दक्ष। इनकी पत्नी प्रसूति से 24 पुत्रियों का जन्म हुआ था। उनमें से एक पुत्री का नाम सती था। सती की एक विमाता भी थीं। उनका नाम वारुणी था। सती ने बड़े तप और हठ से शिवजी को अपना पति सुनिश्चित किया था। इनके इस निर्णय से न तो पिता दक्ष सहमत थे और न ही माता प्रसूति।

दक्ष को कैलाश पर वास करने वाले शिवजी से बड़ी चिढ़ रहती थी। दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त था। एक बार चक्रानुक्रम में दक्ष सर्वश्रेष्ठ प्रजापति घोषित किये गये। इसके परिप्रेक्ष्य में दक्ष ने अपने राज्य की राजधानी कनखल में एक विराट यज्ञ का अनुष्ठान किया। दक्ष ने इस यज्ञ का अनुष्ठान अपना वैभव दर्शाने के साथ शिवजी के प्रति अपने द्वेष को प्रकट करने के लिए किया था। शुभ कार्य को भी कलुष भाव के साथ जब किया जाता है तो उसकी परिणति अशुभ होती है। दक्ष ने इस अनुष्ठान में समस्त देवताओं के साथ पृथ्वी के बहुत से प्रतापी राजा बुलाये थे। सभी देवगणों और देवियों को आदर पूर्वक उच्च आसन दिये गये थे। दक्ष ने शिवजी को छोड़ सभी जामाताओं, पुत्रियों के लिए उचित आसन दिये थे। पर न तो शिवजी और न ही सती के लिए मण्डप में कोई स्थान सुनिश्चित था। आसन की बात क्या कहें आमन्त्रण तक कैलाश के अधिपति देवाधिदेव शिव के यहां नहीं भेजा गया था। उत्सव ऐसा कि चतुर्दिक कई दिनों से कनखल में धूम मचने की चर्चा फैल रही थी। शिवजी सब समझ तो रहे थे पर मौन थे। सती ने एक रात उनसे पूछा कि आकाश में रात्रि के समय विविध रंगों की किरणें कहाँ से आती हैं।

पहले तो शिवजी ने उत्तर देने में अन्यमनस्यकता व्यक्त की। पर सती के हठ करने पर बताया कि तुम्हारे पिता दक्ष की राजधानी की प्रकीर्णित किरणें कैलाश तक आ रही हैं। दक्ष की प्रशंसा के कुछ शब्द सुनकर पहले तो सती प्रमुदित हुईं। तदन्तर कहा कि उस उत्सव में जाने में हमने इतनी देर क्यों की है। हमें तुरन्त चलना होगा। शिवजी इत्ते पर भी मौन रहे तो सती को अचरज हुआ। उन्होंने कहा स्वामी आपने पहले बताया होता तो तैयारी सहज हो जाती। तो भी अब देर ठीक नहीं है। शिवजी को अन्ततः स्पष्ट करना पड़ा कि दक्ष ने हम दोनों को आमन्त्रित ही नहीं किया। तद्यपि सती को लगा कि कोई चूक हुई होगी। वह कनखल जाने को आतुर हो उठीं। शिवजी ने ऐसा करने से रोकना चाहा। पर अनहोनी ने सती की मति में हठ भर दिया। उन्हें पिता या माता की कोई चूक नहीं सूझी अन्ततः सती कनखल पहुँचीं। पिता दक्ष को देखकर आतुर होकर बुलावा नहीं पहुँचने की बात कही। पर उन्होंने अनसुनी कर दी। सती के आँसू छलक पड़े। वह माता प्रसूति की ओर बढ़ीं। पर उनके पाँव काँप रहे थे। उनको भरोसा था कि माता प्रसूति आलिंगन करके सन्तोषजनक उत्तर देंगी। तभी विमाता वारुणी ने व्यंग्य भरी बात कहकर स्पष्ट कर दिया कि जानबूझ कर उनके पति महादेव का अनादर किया गया है। उनके दृग क्लेश की भीषण ज्वाला से दग्ध हो उठे। उनकी पलकें बन्द नहीं हो रही थीं। सती के रौद्र रूप से उधर कैलाश की हिम शिलाएं पिघलने लगीं। कनखल में अब कुछ भी संयत नहीं रह गया था। तथापि दक्ष को अनहोनी की आहट सुनायी नहीं पड़ी।

सती ने पिता दक्ष को ललकारा। उनसे कहा – आपने शिवजी का अपमान कर अपने विनाश को आमन्त्रण दिया है। वहाँ उपस्थित देवगणों, देवियों को साक्षी करके कहा कि इस घोर अपमान के अनर्थ के प्रति सभी सावधान हो जायें। सती के पाँव यज्ञ की प्रचण्ड लपटों की ओर सहजता से बढ़ गये। वह यज्ञ के बीच खड़ी होकर भी सुरक्षित थीं। पावन वहि सती के किसी रोम तक को स्पर्श नहीं कर रही थी। तभी शिव भार्या सती ने सप्त ज्वालाओं को झकझोरते हुए कहा क्या तुम्हें दक्ष के इस कुकृत्य के बाद भी इस यज्ञ के हव्य से तुष्टि की अपेक्षा है। क्या तुम मेरा साथ नहीं देना चाहतीं।

मण्डप में अग्नि देव साक्षात उपस्थित थे। उन्होंने सती के समक्ष नत मस्तक होकर विनती की कि सप्त ज्वालाओं का उद्देश्य आहुतियों से तृप्ति पाना नहीं है। पर वह बिना अनुमति आपके तन को स्पर्श नहीं कर रहीं। मेरी और समस्त देवगणों की विनती है कि आप कुण्ड से बाहर आ जाएं। यज्ञ की कोई आहुति देवता अब स्वीकार नहीं करेंगे। पर सती ने उच्च स्वर में अग्नि देव से कहा या तो कुण्ड की वह्नि को मेरा तन जला कर नष्ट करने की आज्ञा दो अन्यथा सप्त ज्वालाओं को सदा के लिए शीतल हो जाने का शाप भुगतना होगा। सती के भीषण कोप को देखकर अग्निदेव ने दुविधा में नेत्र निमीलित कर लिये। सप्त ज्वालाओं को यह संकेत था कि वह देवी सती की आज्ञा का पालन करें। ज्वालाओं ने एक पल में सती के स्निग्ध तन को अपने आँचल में भर लिया। सती की देह जल उठी तो सर्वत्र हाहाकर मच गया।

सती के साथ आये शिवजी के दो गण द्रुत गति से कैलाश पहुँचे और सारी व्यथा बतायी। शिवजी तो नेत्र बन्द किये सारा घटनाक्रम देख ही रहे थे। उन्होंने अपने एक सेनापति वीरभद्र की ओर देखा भर कि भयंकर गर्जना करता त्रिशूल कनखल पहुँच गया। पल भर नहीं बीता कि दक्ष के सिर को भूलुंठित कर दिया। तभी शिवजी प्रकट हुए तो सभी मस्तक झुकाए करबद्ध खड़े हो गये। शिवजी ने अपनी प्रिय देवी सती के अधजले तन को अंक में लेकर कन्धे से लगा लिया। उनके कोप का कोई ठिकाना नहीं था। वह चतुर्दिक घूमकर ताण्डव करने लगे। धरती डोलने लगी। सभी दिकपाल कम्पित हो उठे थे।

अन्ततः विष्णु जी को प्रलय की आशंका को देखते हुए सुदर्शन चक्र को आज्ञा देनी पड़ी। सती का अंग–अंग कटकर गिरने लगा। धरती पर 51 शक्तिपीठ इन्हीं अंगों की ज्योति से बने हैं। उधर दक्ष के पुनर्जीवन की बात उठी तो उनके धड़ पर बकरी का सिर लगाया गया। बकरी का सिर लगाने की बात के पीछे तर्क यह दिया जाता है बकरी ही ऐसा प्राणी है जो अपना पेट भरने के लिए बच्चे के सामने पड़े भोजन को भी समेत लेती है। इस तरह दक्ष के अहंकार ने सती के प्राण तो लिये ही पूरी सृष्टि में उथल–पुथल पैदा कर दी। सती के अन्य नाम हैं शिवप्रिया, भवप्रीता, त्रिनेत्रा, भवानी, भव मोचिनी, शूलधारिणी, भव्या, सदगति, अनन्ता, शक्तिप्रिया, सर्व विद्या शाम्भवी, काली आदि।

उनका पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती राजा हिमाचल की पुत्री थीं। वह हिमवान के दूसरे राजा थे। पार्वती की माता का नाम मैनावती था। पार्वती के अन्य नामों में गौरी, उमा, शिवानी शताक्षी, पराशक्ति, दुर्गा, शाकम्बरी, चामुण्डा, आदिशक्ति हैं।

(लेखक राष्ट्रवादी विचारक एवं लेखक हैं)

ISSN No. 2581-3528

बजट अगले चुनाव के साथ भावी विकास का विजन भी

मनोहर मनोज

अगले साल लोकसभा चुनाव के पहले का अंतिम रेगुलर बजट समझकर अधिकतर लोगों का अनुमान यही था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में केवल चुनावी लोकलुभावन घोषणाओं की झड़ी लगाएंगी। लेकिन वित्त मंत्री ने एक तरफ देश के दो बड़े राजनीतिक दबाव समूहों यानी गरीब वर्ग व मध्य वर्ग के लिए ठोस सौगात तो जरूर पेश की लेकिन साथ साथ उन्होंने भारत के भावी विकास के कई नये कारकों का विजन ग्राफ और उसके बजट प्रावधानों को भी जमकर दर्शाया। चुनावी लोकलुभावन कदमों के तहत गरीबों के लिए दो लाख करोड़ रुपये की लागत पर अगले एक साल मुफ्त अनाज देने की पूर्व घोषित योजना का बजट में भी उल्लेख कर दिया गया तो दूसरी तरफ अरसे से कर छूट की आस लगाए मध्य वर्ग की आयकर सीमा पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख कर देने का वित्त मंत्री ने एक जबरदस्त चुनावी स्ट्रोक मारा। इसी के साथ आयकर के स्लैबों को इस तरह पुनर्गठित किया गया है जिससे पंद्रह लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले व्यक्ति को अंतिम तौर पर केवल दस फीसदी यानी डेढ़ लाख रुपया कर देना होगा। आयकर की अधिकतम परिचालित दरें 43 फीसदी से घटाकर 35 फीसदी कर दी गई हैं। पर इन दो कदमों के इतर इस बार का बजट देश के उन तमाम नये क्षेत्रों और उन विकास प्राथमिकताओं की तरफ इशारा कर रहे थे जो कहीं न कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के आने वाले दौर की कहानी गढ़ेंगे। इसलिए इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने समावेशी विकास, हरित विकास, हरित उर्जा, सहकारी विकास, डिजीटल विकास, प्राकृतिक खेती व भू संवर्धन, आदिवासी उत्थान, स्टार्ट अप विकास, एमएसएमई के लिए वित्तीय व विपणन प्रोत्साहन, पशुधन डेयरी मत्स्य विकास, उर्जा सुरक्षा, कौशल विकास, न्यायिक सुधार व इलेक्ट्रानिक न्यायालय, बुनियादी अधो संरचना और रेलवे में भारी पूंजीगत व्यय और पीएम आवास योजना तथा प्रदूषण रोकथाम जैसे कई कदमों का अपने बजट भाषण में उल्लेख भी किया और उसके लिए बजट राशि भी घोषित की। इसके लिए बजट में कई नवप्रवर्तन स्कीमों, वित्तीय प्रोत्साहनों और बजटीय आबंटन में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी कर सीधे–सीधे भारत के अगले पच्चीस सालों के विकास के वैकल्पिक विजन का रेखांकन किया गया।

ISSN No. 2581-3528

मिसाल के तौर पर वर्ष 2075 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, देश को अगले पांच सालों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का हब बनाने, देश की 63 हजार प्राथमिक सहकारी समितियों का ढाई हजार करोड़ रुपये की लागत से कंप्यूटरीकरण करने, कृषि डेयरी पशुपालन व मत्सय क्षेत्र को बीस लाख करोड़ रुपये का कर्ज जारी करने और कुल कर्ज का तीस प्रतिशत एमएसएमई के लिए सुरक्षित करने की बात कही गई है। पिछली बार की तरह इस बार के बजट में स्टार्ट अप पर और जोर देते हुए इस बिजनेस का दायरा गांवों व खेती के क्षेत्र में बढ़ाने की बात तो कही ही गई है साथ साथ देश के 47 लाख युवकों के कौशल विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया गया है। इसके लिए देश में तीस स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित कर वहां अब रोबोटिक, थ्री डी प्रिंटिंग, ड्रोन आपरेशन और कोडिंग जैसे विषयों पर भी प्रशिक्षण देने की एक अनोखी बात कही गई है।

मोदी सरकार के लिए रेलवे में पूंजीगत निवेश बेहद प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है जिसके लिए इस बार के बजट में करीब ढाई लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है जो पिछले नौ साल में करीब नौ गुना ज्यादा है। पूंजीगत आधारभूत सुविधाओं के भावी विकास को घ्यान में रखते हुए वित्त मंत्री द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा ये की गई है कि अब राज्यों को अपनी आधारभूत संरचना विकास के लिए केन्द्र उन्हें अगले पचास साल तक के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। एक और महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि इस बार के बजट में पीएम आवास योजना के लिए बजट आबंटन में 66 फीसदी की अभूतपूर्व बढोत्तरी कुल बजट राशि 79 हजार करोड रुपये रखी गई है। कुल मिलाकर इस बार के बजट में सरकार ने पूंजीगत व्यय का आकर करीब साढे सात लाख करोड रखा है जो पिछले चार साल में तीन गुना ज्यादा है। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष में सरकार ने प्रत्यक्ष करों से करीब नौ लाख करोड और जीएसटी व अप्रत्यक्ष करों से करीब 11 लाख करोड की प्राप्ति का अनुमान लगाया है। इस राशि से सरकार अपने राजस्व व्यय की भरपाई कर लेगी। बाकी अपने पूंजीगत व्यय को बाजार के उधार स्रोतों से भरपाई करेगी। इस वित्तीय संतुलन से उम्मीद है कि आगामी वर्षों में कर्ज पर निर्भरता का जीडीपी अनुपात मौजूदा समय की तुलना में घटेगा। इसलिए करीब तीन साल बाद वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष और आगामी दो वित्त वर्ष के सरकार के वित्तीय घाटे का जो ब्यौरा दिया वह अब निराशा से आशा की ओर आस बढ़ाता दिखा। यानी मौजूदा साल का वित्तीय घाटा 6.4 फीसदी होगा पर अगले साल वह घटकर 5.9 फीसदी व उसके बाद 2025–26 तक यह घटकर 4 फीसदी लाने की बात कही गयी है।

आर्थिक सर्वेक्षण के जरिये भारतीय अर्थव्यवस्था के छह से सात फीसदी विकास दर का रोड मैप मिल जाने और बाह्य स्तर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में छायी मंदी की संभावना से भारत के व्यापार घाटा बढ़ने की मिश्रित आर्थिक परिस्थितियों के मद्दे नजर इस बार बजट को लेकर वित्त मंत्री की रणनीति स्पष्ट हो गई थी। रणनीति ये थी कि वित्त मंत्री प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर की उत्साहजनक वसूली के जरिये अपने राजस्व खर्चे को संतुलित कर सार्वजनिक ऋण को नियंत्रित करेंगी तो दूसरी तरफ वित्तीय घाटे को और बढने से रोकेंगी। गौरतलब है कि यदि मोदी सरकार अगले चुनाव को ध्यान में रखकर गरीबों के लिए दो लाख करोड़ की लागत पर मुफ्त राशन की घोषणा नहीं करती तो वह वित्तीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को और घटा सकती थी।

प्रशासनिक सुधारों को डिजीटल गवर्नेन्स और ई–गवर्नेन्स के जरिये सरकार पहले से तवज्जो दे रही थी पर इस बार बजट में कई न्यायिक सुधारों को लाने की बात भी कही गई है। मसलन सात हजार करोड़ की लागत पर इलेक्ट्रॉनिक न्यायायल स्थापित करने, गरीब कैदियों के जुर्माने व जमानत राशि को सरकार द्वारा वहन किये जाने, के करीब पैंतालीस व्यावसायिक कानूनों में संशोधन लाने, एमएमएमई कंपनियों के जब्त फंड को लौटाने, ठेके संबंधी विवादों का त्वरित समाधान के साथ सरकारी कर्मचारियों को मिशन कर्मयोगी व शिक्षकों के लिए एक नये प्रशिक्षण कार्यकर्म शुरू किया जाना बजट की एक नयी सुधार घोषणा है।

मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयातित मोबाइल उपकरणों पर सीमा शुल्क में छूट देने के साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहन की प्रमुख इनपुट लीथियम बैट्री के आयात पर दी जा रही छूट को अगले साल तक के लिए बढ़ाया गया है।

कुल मिलाकर यह बजट मोदी सरकार के पिछले पांच वाली नोटबंदी व देशबंदी की वजह से विकास दर गिरावट से उभरे निराशावाद पर एक नये आशावाद का प्रतीक बनकर आया है जो सरकार को नये विकास दर व राजस्व संग्रहण के आंकड़े के जरिये स्थानांतरित होना संभव हुआ है।

(लेखक, एकोनॉमी ऑफ इंडिया पत्रिका के संपादक हैं)

ISSN No. 2581-3528

अल्पसंख्यकवाद से मुक्ति पर विचार हो

डॉ. सौरभ मालवीय

भारत एक विशाल देश है। यहां विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। उनकी भिन्न-भिन्न संस्कृतियां हैं, परन्तु सबकी नागरिकता एक ही है। सब भारतीय हैं। कोई भी देश तभी उन्नति के शिखर पर पहुंचता है जब उसके निवासी उन्नति करते हैं। यदि कोई समुदाय मुख्यधारा के अन्य समुदायों से पिछड़ जाए, तो वह देश संपूर्ण रूप से उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है कि देश के सभी समुदाय उन्नति करें। आज देश में एक बार फिर से अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का विषय चर्चा में है।

उल्लेखनीय है कि 'अल्पसंख्यक' का तात्पर्य केवल मुस्लिम समुदाय से नहीं है। देश के संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द की परिकल्पना धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक रूप से भिन्न वर्गों के लिए की गई है। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम -1992 बनाया गया। इसमें देश की मुख्यधारा से पृथक वंचित धार्मिक समुदायों की स्थिति के कारणों के मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस अधिनियम के आधार पर मई 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। किन्तु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1992 में 'धार्मिक अल्पसंख्यक' की परिभाषा नहीं दी गई है। कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक है, इसका निर्णय करने का सारा दायित्व केंद्र सरकार को सौंप दिया गया। इसके पश्चात कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर 1993 में पांच धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित किया, जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी सम्मिलित हैं। इसके पश्चात जैन समुदाय द्वारा उसे भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग की जाने लगी। तब सरकार ने राष्ट्रीय धार्मिक अधिनियम- 2014 में एक संशोधन करके जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यकों की सूची में सम्मिलित कर दिया।

भारतीय जनता पार्टी का सदैव से यह कहना रहा है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के नाम पर 'मुस्लिम तुष्टिकरण' की राजनीति करती आई है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्रों में भी यह प्रश्न उठाते हुए संकल्प लिया था कि वह 'अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त करके इसका दायित्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपेगी। अब चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो यह विषय चर्चा में आ गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में भाजपा सत्ता में आई, उस समय इस संबंध में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस द्वारा गठित द्वितीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भी समाप्त करने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया। वास्तव में वर्ष 2004 के पश्चात से भाजपा ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया, अपितु भाजपा ने 2014 के अपने घोषणा पत्र में कहा कि 'स्वतंत्रता के इतने दशकों के पश्चात भी अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वर्ग, विशेषकर मुस्लिम समुदाय निर्धनता में जकड़ा हुआ है। भाजपा की इस बात के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। प्रथम यह कि भाजपा स्वीकार करती है कि देश की स्वतंत्रता के इतने वर्षों पश्चात भी मुसलमानों की स्थिति दयनीय है, जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। द्वितीय यह है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में कांग्रेस का ही शासन रहा है तथा उसने मुसलमानों की दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं किया तथा मुसलमान इस दयनीय स्थिति में पहुंच गए।

देश और राज्यों में अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ी विडंबना की स्थिति है। कोई समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक है, तो किसी राज्य में अल्पसंख्यक है। इसी प्रकार कोई समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक है, तो किसी राज्य में बहुसंख्यक है। इसी प्रकार कोई समुदाय एक राज्य में अल्पसंख्यक है तो किसी दूसरे राज्य में बहुसंख्यक है। उल्लेखनीय बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य स्तर पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग वाली याचिकाएं भी दायर की गई हैं। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने अपनी राय देने के लिए समय मांगा है। इस संबंध में 14 राज्यों ने अपनी राय दे दी है, जबकि 19 राज्यों और केंद्र सरकार ने अभी तक अपनी राय नहीं दी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है, यह तो समय के गर्भ में छिपा है, किन्तु इतना निश्चित है कि यह एक ज्वलंत विषय है। इससे देश का सामाजिक वातावरण प्रभावित होगा। इससे निपटने का एक सरल उपाय यह है कि देश को अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक की राजनीति से मुक्ति दिलाई जाए। संविधान की दृष्टि में देश के सब नागरिक एक समान हैं। संविधान ने सबको समान रूप से अधिकार दिए हैं। संविधान ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। इसलिए देश में समान नागरिक संहिता लगाई जाए। इससे बहुत से झगड़े स्वयं समाप्त हो जाएंगे। यदि देश के सभी वर्गों की एक समान उन्नति करनी है, तो उनके धर्म, पंथ या जाति के आधार पर नहीं, अपितु उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर नीतियां बनाने की आवश्यकता है। आर्थिक आधार पर बनी नीतियों से उनका समग्र विकास हो पाएगा। ऐसा न होने पर देश अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति में उलझ कर रह जाएगा। ऐसी परिस्थियों में मूल समस्याओं से ध्यान भटक जाएगा, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे।

प्रश्न है कि जब संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं, तो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक निर्धारित करने का क्या औचित्य है? वास्तव में निर्धनता का संबंध किसी धर्म, पंथ अथवा जाति से नहीं होता। इसका संबंध व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से होता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। मोदी सरकार द्वारा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने कमजोर आय वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं, जिनका लाभ देश के निर्धन परिवारों को मिल रहा है। इन योजनाओं का यही उद्देश्य है कि देश के सभी निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। इस संबंध में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अल्पसंख्यकवाद से भाईचारा भी प्रभावित होता है। सांप्रदायिकता देश के समग्र विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए देश को अल्पसंख्यकवाद बनाम बहुसंख्यकवाद की राजनीति से निकलना होगा। एक देश में एक ही विधान होना चाहिए। जब संविधान की दृष्टि में सब नागरिक समान हैं, तो उनके लिए सुविधाएं भी एक समान होनी चाहिए।

(लेखक-मीडिया शिक्षक एवं राजनीतिक विश्लेषक है)

ISSN No. 2581-3528

सामाजिक कुरीति और उन्मूलन

नीलम भागी

"मैंने जात नहीं पानी मांगा था।" ये साबरमती आश्रम की पेंटिंग गैलरी में आठ अनोखी पेंटिंग में से एक पर लिखा था। ये पढ़ते ही मेरे ज़हन में आने लगा कि जातिगत भेदभाव उस समय की कितनी बड़ी सामाजिक कुरीति थी जो आज भी है पर पहले से कुछ कम और अलग है। शहरों में भी विवाह के समय जाति महत्वपूर्ण सी होने लगती है। वैवाहिक विज्ञापनों में जाति लिखी होती है या जातिबंधन नहीं। यानि जाति शब्द का इस्तेमाल जरुर किया जाता है। कोई सिर्फ धर्म लिख कर विज्ञापन नहीं देता मसलन हिन्दु युवक या युवती। कर्म और व्यवसाय पर आधारित वर्ण व्यवस्था चार भागों में बांटी गई थी। कालान्तर में यह जाति व्यवस्था कहलाने लगी। बच्चे के जन्म लेते ही उसे जाति मिल जाती है। भेदभाव तो विदेशों में भी देखने को मिलता है मसलन रंग भेद श्वेत अश्वेत। लेकिन भारत में ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति क्यों हुई? शायद इसका कारण जातीय दंभ और आर्थिक रहा होगा। इस व्यवस्था के कारण समाज के एक बहुत बड़े भाग को विकास के अवसर नहीं दिए गए। समाज में अस्पृष्यता और शोषण का जन्म हुआ और लोगों की सामुदायिक भावनाएं संकुचित हो गईं, जिससे राष्ट्रीय एकता की राह में बाधाएं उत्पन्न हुईं। बापू जानते थे कि इसे दूर करना बहुत जरुरी है और उन्होंने इसकी शुरुआत की।

साबरमती आश्रम में घूमते हुए, वहाँ लिखा हुआ पढ़कर जाना कि उस समय बापू ने अपने लेखन और कर्म में जाति, और श्रम जैसे विषयों पर बेबाक टिप्पणियां लिखीं। उन्होंने अपने विचारों से और कार्यों द्वारा सामाजिक समरसता के लिये प्रयास किया। वे धर्मशास्त्रीय आधारों पर भी छुआछूत और जाति व्यवस्था को अस्वीकार करते थे। बापू को तो समानता के सिद्धांत पर महान प्रयोग करना था जो साबरमती में सम्भव था। चालीस लोगों के साथ सामुदायिक जीवन को विकसित करने के लिये बापू ने 1917 में यह प्रयोगशाला शुरू की यानि साबरमती आश्रम। यहाँ के प्रयोग से विभिन्न जातियों में एकता स्थापित करना, चरखा, खादी ग्रामोद्योग द्वारा सबकी आर्थिक स्थिति सुधारना और श्रमशील समाज को सम्मान देना था। यहाँ रहने वाले सभी जाति के देशवासी बिना छूआछूत के रहते थे। छूआछूत को सफाई पेशा से जोड़ कर देखा जाता है। महात्मा गांधी इस अति आवश्यक कार्य को निम्न समझे जाने वाले काम को और इसे करने वाले समाज को सम्मान प्रदान करते थे। इस सम्मान का उद्देश्य श्रमशील समाज का सम्मान था। वे सभी को सफाई कार्य में अनिवार्य रूप से भागीदार बनाकर, श्रमशील समाज के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते थे।

नागपुर के हरिजनों ने बापू के विरूद्ध सत्याग्रह किया। उनका तर्क था कि मंत्रीमंडल में एक भी हरिजन मंत्री नहीं था। साबरमती आश्रम वह प्रतिदिन पाँच के जत्थे में आते, चौबीस घंटे बापू की कुटिया के सामने बैठ कर उपवास करते, बापू उनका सत्कार करते थे। उन्होंने बैठने के लिये बा का कमरा चुना, बा ने निसंकोच दे दिया, उनके पानी आदि का भी प्रबंध करतीं क्योंकि वह पूरी तरह बापूमय हो गईं थीं। किसी भी कुरीति को जड़ से खत्म करना बहुत मुश्किल है। लेकिन असंभव नहीं है। बापू समाज में समरसता लाने के लिये शारीरिक और मानसिक श्रम के बीच की खाई को समाप्त करने की बात कहते रहे। इसके लिये साबरमती में, उद्योग भवन को उद्योग मंदिर कहना उचित है! वहाँ जाने पर, देखने और मनन करने पर पता चलेगा, वहाँ जाकर एक अलग भाव पैदा होता है। समाज में व्याप्त कुरितियाँ, जिन्हें दूर करने का प्रयास किया गया है, वह आज भी कहीं न कहीं विद्यमान है।

शादी के लिये वैवाहिक विज्ञापन में अपने स्टेटस के साथ लिखा हिन्दू, जातिबंधन नहीं। बेटी वाले भी जात, गोत्र, जन्मपत्री सब छोड़ कर बस वर के पद को देखते हुए रिश्ते की बात चलातें हैं। अब हमारे सामने पाँचवा वर्ण आ गया है, जिसे अभिजात वर्ण या धनिक वर्ण कहा जा सकता है। जिसे समय ने लाभ या जरुरत के आधार

ISSN No. 2581-3528

पर बनाया है और इस वर्ण में स्टेट्स देखा जाता है। जबकि वेदों में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी जिसमें समय के साथ कुरीतियां और विकृतियां आ गईं। कुप्रथाओं में जातिगत भेदभाव, छुआछूत आदि की प्रवृति बढ़ती गई। समान वर्ण में आगे जाकर उच्च वर्ग और निम्नवर्ग में भेदभाव शुरू हो गया। उच्च वर्ग तो निम्न वर्ग को हेय दृष्टि से देखता है। इलीट वर्ग में आते ही, वर सम्पन्न और अपने से दो पायदान ऊंचे वर्ण का दामाद बन जाता है। और लाभ के आधार पर बना पांचवा वर्ण जिसमें जातियों और उपजातियों की बातें करना पिछड़ापन समझा जाता है। वर वधू का रिश्ता देखते समय अपने से नीची जात के लखपति करोड़पति या उच्च पद को प्राथमिकता दी जाती है, न कि ऊँची जाति के कौढ़ीपति को। जाति व्यवस्था विवाह के क्षेत्र को सीमित करती है। जाति से बाहर विवाह नहीं कर पाने से बाल विवाह, बेमेल विवाह, कुलीन विवाह एव दहेज प्रथा की समस्या पैदा होती है। अस्पृश्यता के कारण कई हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेते हैं।

जब जनकल्याण की भावना से कोई रीति उपजी थी, तब उसमें न नयापन था न पुराना। बाद में उपयोगिता के आधार या लाभ देखते हुए, आने वाले समय में वह कुरीति, प्रथा या परंपरा में बदलने लगी। रीति और कुरीति का पालन करना हमारे ऊपर है, जिसका सुविधा और उपयोगिता के अनुसार, हम इसमें से चुनाव करते हैं। लेकिन व्यर्थ खत्म होना ही चाहिए, जो हुआ भी है जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी आदि। पुरानी कुरीति में नयापन भी तो हुआ है विधवा विवाह को समाज ने स्वीकारा है।

जाति भेद के दोष से अलगाव, समरसता का अभाव उत्पन्न होता है। देश के विकास के लिए सामाजिक समरसता की जरूरत होती है। हमारा देश विविधताओं का देश है। भाषा, खानपान, देवी देवता, पंथ संप्रदाय न जाने क्या क्या है? और तो और जाति व्यवस्था में भी विविधता है। आज एक ही वर्ण से सम्बंधित विभिन्न जातियाँ राजनीतिक स्वार्थो के लिए संगठित होकर प्रजातंत्र के स्वस्थ विकास में बाधा पैदा कर रहीं हैं। जिसका राजनीतिक पार्टियाँ अपने फायदे के लिए हमारे बीच वैमनस्यता को बढ़ातीं हैं। हमारी एकता में भी दरार पैदा करने का काम करतीं हैं। राजनीतिज्ञों के कारण सामाजिक कटुता जो समाज में दीमक की तरह लग गई है। इस पर विवाद नहीं, विचार ज्यादा करना है। और आधुनिक विमर्शों को स्वीकार करना है। नवीनता को स्वीकारना, आत्मसात करना हमारे समाज के हित में है।

किसी भी पंथ, संप्रदाय, समाज सुधारकों और संतों ने मनुष्यों के बीच भेदभाव का समर्थन नहीं किया। इसलिये धर्मगुरूओं के अनुयायी सभी जातियों के होते हैं। वे कभी अपने गुरू की जाति नहीं जानना चाहते, वे गुरुमुख, गुरुबहन, गुरुभाई होते हैं।

जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिये ज्ञान।
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान।

यानि योग्यता के आधार पर विवाह करना चाहिए न कि जाति के आधार पर। इसके उन्मूलन के लिए अर्न्तजातीय विवाह को खुले मन से स्वीकारना होगा। इसमें महिलाओं को अपनी सोच बदलनी होगी क्योंकि वे परिवार की धुरी हैं। विवाह के बाद दूसरी जाति की लड़की आपके परिवार में आती है या आपकी बेटी जाती है तो हर लड़की अपनी जाति में होने वाले रिवाज़ बचपन से देखती मनाती और जानती है। वो आपके घर में तो नहीं पली न। ये मान कर चलो कि जो लड़की शिक्षित, आत्मनिर्भर है वो कुछ समय में सब जान जायेगी। हर जाति की कुछ न कुछ विशेषता होती है। हमें उसे भी लेना है। अपना लादना नहीं है। कुछ शिक्षित महिलाएं तो इतनी ज्ञानी हैं कि वे अपनी बहू की जाति पूछने पर बंगालन, मद्रासन, पंजाबन, भइयन, बिहारन आदि बताती हैं। लेकिन बात बात पर कान्यकुब्ज ब्राह्मणी, अपनी बंगाली ब्राह्मण बहू को ताना मारने से बाज नहीं आती। अगर जाति भी अलग होगी तो हम सोच ही सकते हैं। फिर इन लक्षणों से तो मनमुटाव ही पैदा होगा और बाद में दोष जाति को दिया जाता है। अर्न्तजातीय विवाह करने वालों को सोचना होगा कि अपनी जाति में भी तो परिवार में ऐसा होता है। बस कहा ये जाता है "तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है! हमारे यहाँ तो नहीं।" सैंकड़ों साल से चलने वाली किसी परंपरा को कम समय में दूर कर लेना भी आसान नहीं है। लेकिन जातिविहीन समाज का बीज बोया जा चुका है।

(लेखिका जर्नलिस्ट, लेखिका, ब्लॉगर, ट्रैवलर हैं)

ISSN No. 2581-3528

ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में मनायी गई स्वामी विवेकानन्द जयंती

डॉ. वेद व्यथित

सुदूर ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न के भारतीय प्रधान कोंसुलावास में विवेकानंद सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एवं कोंसुलावास द्वारा स्वामी विवेकानन्द जयंती का बहुत ही उल्लास व उत्साह पूर्वक आयोजन किया गया। भारतीय कौंसुल जनरल डॉ सुशील कुमार, चांसरी प्रमुख एवं कान्सुल गिरीश सिंह, वेदांत सेंटर के स्वामी सुनिष्ठानन्द, हिन्दू कौंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मकरंद भागवत व गायत्री परिवार विक्टोरिया के पीयूष श्रीवास्तव, विवेकानंद सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ज्योति शर्मा आदि अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मेलबॉर्न निवासियों ने व बच्चों ने इस में बढ़ चढ़ कर सहभागिता की। अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम रुचि, सम्पा, ज्योति, ऐश्वर्या, शीना, भोरवी, रेकान्त, अनन्या, चैतन्या, शिवेन, शौर्य, काशवि, प्रियम, अंकित और योगेश आदि ने प्रस्तुत किये। स्वामी विवेकानन्द जी के जीवन से सम्बंधित अनेकों प्रसंगों को बच्चों व बड़ों ने कई माध्यमों से प्रस्तुत किया। डॉ सुभाष शर्मा व डॉ वेद व्यथित का काव्य पाठ हुआ। इस कार्यक्रम में 133 श्रोता रहे।

इस अवसर पर बच्चों ने सुंदर चित्रांकन किया। जिस में चारवी भट्ट, प्रियम सक्सेना व चैतन्या / वेदांशी को क्रमश प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए। इन बच्चों व अन्य सभी सहभागियों को भारतीय कौंसुल जनरल द्वारा प्रमाण पत्र एवं हिन्दू कौंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सौजन्य से पुरुस्कार प्रदान किया गए।

विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में विवेकानंद सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा 8 जनवरी को रक्तदान का कार्यक्रम भी हुआ जिस में 10 जन सहभागी रहे।

इस कार्यकम का सफल संचालन उत्साही युवा योगेश भट्ट ने किया तथा इस के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने भारत माता को समर्पित ऊर्जावान गीत प्रस्तुत किया। अंत में विवेकानंद सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अतुल गार्गी ने सभी प्रतिभागियों, कलाकारों एवं सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रगान करवाकर कार्यक्रम का समापन किया।

(लेखक साहित्यकार हैं)

ISSN No. 2581-3528

वीर सावरकर : राष्ट्र का सच्चा किन्तु विस्मृत नायक

गीता पंवार

वीर सावरकर का 26 फरवरी 1966 को मुंबई में निधन हुआ था। उनका अंतिम संस्कार शहर के चंदनवाडी श्मशानघाट पर किया गया। वे शहर के शिवाजी पार्क इलाके में रहते थे, जहाँ से चंदनवाडी की दूरी छह मील थी। उस दिन हजारों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सडकों पर मौजूद थे। हुजूम इतना बडा था कि उनकी शवयात्रा को श्मशानघाट तक पहुँचने में साढे पांच घंटों से भी अधिक समय लग गया। जबकि उनका पार्थिव शरीर फूलों से सजे एक ट्रक में रखा गया था। स्वाधीनता के बाद, इस प्रकार की शवयात्राओं की तस्वीरें महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सरीखे नेताओं की सामान्यतः देखी गयी है। मगर वीर सावरकर के लिए स्वाभाविक रूप से ऐसी ही भीड़ का जुटना स्पष्ट दर्शाता है कि उनका कद उस दौर के किसी नेता से कमतर नहीं आँका जा सकता। साथ ही, यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि सावरकर पिछले तीन दशकों से सक्रिय राजनीति का भी हिस्सा नहीं थे और स्वाधीनता के बाद उन्होंने अपना जीवन एकान्तवास में ही गुजारा था। उनके अंतिम संस्कार में मुख्य रूप से तीन बड़े राजनेता मौजूद थे, जो एक प्रकार से भारतीय राजनीति की हर विचारधारा का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। इसमें राजनेता, कवि एवं मराठा समाचार–पत्र के संस्थापक प्रह्लाद केशव अत्रे शामिल थे। वे महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य और वामपंथियों एवं समाजवादियों द्वारा महाराष्ट्र राज्य के गठन के लिए बनाई संयुक्त महाराष्ट्र समिति के भी सदस्य रहे। दूसरा नाम, श्रीनिवास गणेश सरदेसाई का था जोकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से महाराष्ट्र विधानसभा सहित राज्यसभा के सदस्य रहे। वे सीपीआई की केंद्रीय कार्यसमिति के भी सदस्य थे। तीसरा नाम, भारतीय जनसंघ के बच्छीराज व्यास का था। सीपीआई के सबसे बड़े नेताओं में से एक रहे, हिरेन मुखर्जी ने तत्कालीन केंद्र सरकार से संसद में वीर सावरकर को श्रद्धांजलि देने का अनुरोध किया था। हालाँकि, उनकी यह मांग तो पूरी नहीं हुई लेकिन संसद से बाहर हर किसी ने सावरकर के प्रति न सिर्फ अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट किया बल्कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को भी याद किया। इनमें सीपीआई के संस्थापक सदस्य, श्रीपाद अमृत डांगे, समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया, और कांग्रेस नेता यशवंतराव चव्हाण जैसे नाम शामिल थे। चव्हाण तो बाद में भारत के गृह, रक्षा, वित्त, विदेश और उप–प्रधानमंत्री भी बने। तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वीर सावरकर को याद करते हुए कहा था कि वे स्वतंत्रता के नियमित एवं मजबूत स्तंभ थे। उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने कहा कि सावरकर ने कई युवाओं को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने भी सावरकर को देशभक्त एवं क्रांतिकारी कहकर संबोधित किया। साल 1965 में सावरकर की तबियत ठीक नहीं रहती थी और उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए थोड़ी कशमकशें चल रही थी। संसद की एक बहस में तब कांग्रेस के नेता इंद्र कुमार गुजराल ने उन्हें 'नेशनल हीरो' कहा था। बाद में इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री भी बने। इसी प्रकार 1989 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तत्कालीन उप–राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा ने मुंबई में सावरकर मेमोरियल का उद्घाटन करते हुआ कहा था कि यह मेमोरियल राष्ट्रीय एकता को प्रेरित करेगा, जिसकी वर्तमान में सर्वाधिक जरुरत है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल ब्रह्मानंद रेड्डी और मुख्यमंत्री शरद पवार भी मौजूद थे। इन सभी के राजनैतिक जीवन की शुरुआत

ISSN No. 2581-3528

कांग्रेस से हुई थी। यह एक बड़ा दिलचस्प तथ्य है कि कांग्रेस में अगर कुछ राजनेताओं को छोड़ दें तो नेताओं की एक लम्बी फेहरिस्त है जिन्होंने अपनी अलग विचारधारा होने के बावजूद भी वीर सावरकर को लेकर कभी तिरस्कारपूर्ण रवैया नहीं रखा। जब संसद भवन में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने को लेकर संसदीय समिति की बैठकें बुलाई गयी थी। इन बैठकों में कांग्रेस के शिवराज पाटिल और प्रणव मुखर्जी सहित सीपीएम से सोमनाथ चटर्जी शामिल हुए। खास बात यह है कि इनमें से किसी ने इन बैठकों में सावरकर की तस्वीर का विरोध नहीं किया। मगर जिस दिन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने उस तस्वीर का संसद भवन में अनावरण किया तो कांग्रेस सहित वामपंथी नेताओं ने उस कार्यक्रम से दूरी बना ली। इस दौरान जब महाराष्ट्र विधानसभा में वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर का अनावरण उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत ने किया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उस कार्यक्रम से दूरी बना ली। जबकि इस कार्यक्रम की संरचना मुख्यमंत्री शिंदे के ही निर्देशों पर हुई थी। जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार बनी तो तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर ने शीर्ष नेतृत्व के प्रभाव में आकर वीर सावरकर पर एक अनावश्यक टिप्पणी कर दी थी। जिसके बाद, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सितम्बर 2004 में प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से कहा कि वे सावरकर की विचारधारा को नहीं मानते लेकिन सावरकर देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे। साल 2004 से पहले तक कर्नाटक के स्कूलों में आठवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर का एक अध्याय शामिल था। जिसे लेकर किसी ने कोई विवाद नहीं किया जबकि आजादी के बाद से कर्नाटक में कांग्रेस ही सत्ता में अथवा उसके आसपास बनी रहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहली बार 2007 में वहां सत्ता संभाली। मगर 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा ने पाठ्यक्रम फिर से लिखने के लिए एक समिति का गठन किया और उस समिति ने वीर सावरकर सहित भगत सिंह

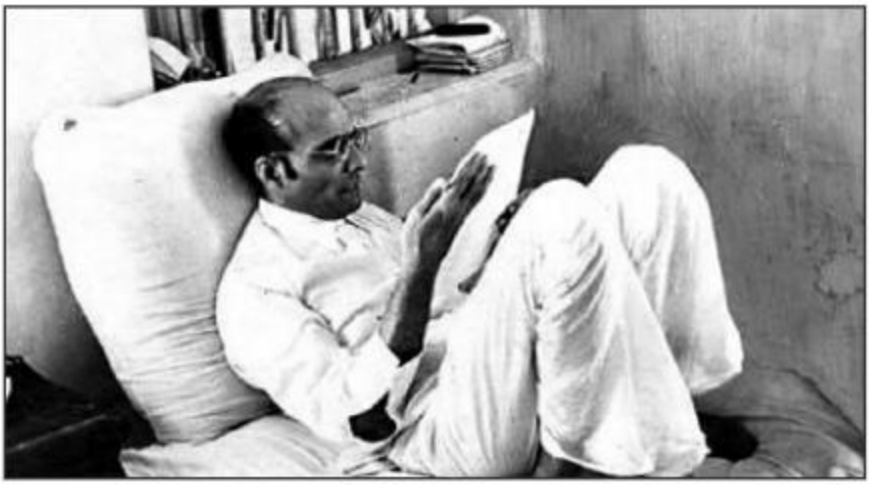

के अध्याय हटवा दिए। इसी दौरान, पहली बार वीर सावरकर को विवादित करने के प्रयास शुरू हुए। इसमें नौसेना से बर्खास्त किये गए विष्णु भागवत ने सबसे पहले बयान देकर कहा कि सावरकर ने कई बार ब्रिटिश सरकार से मांफी मांगी थी। उसके बाद, कांग्रेस ने इसी एक मुद्दे को पकड़ लिया और वीर सावरकर को उसी के इर्दगिर्द रख विवादित बनाने का प्रोपेगंडा शुरू कर दिया। जबकि वीर सावरकर ने जब राजनीतिक बंदियों की रिहाई हेतु पत्र लिखे थे तब महात्मा गांधी सहित हर बड़े नेता को इस बात की जानकारी थी। लेकिन किसी ने कोई विवाद खड़ा नहीं किया। बल्कि गांधीजी ने तो पुनः पत्र लिखने का सुझाव भी दिया और यह आश्वासन भी कि वे अंग्रेजों के सामने सावरकर एवं अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई का मुद्दा उठाएंगे।

वास्तविकता तो यह थी कि वीर सावरकर ने ही भारत की विशुद्ध स्वाधीनता की परिकल्पना की थी और उसे फलीभूत करने हेतु उन्होंने जो संघर्ष प्रारंभ किया था उसके मूल में हिन्दुत्व का वर्चस्व था। वो यह मानते थे कि भारत में ही यदि हिन्दू हित की बात न होगी तो फिर कहाँ होगी? और इसमें अंश भर भी कुछ गलत न था। किन्तु उन्हें गलत ठहराया गया तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं और अलगाववादी ताकतों से संवेदना रखने वाले बुद्धिजीवियों नें! कालांतर में, भारत के विभाजन ने यह सिद्ध कर दिया कि वीर सावरकर की विचारधारा राष्ट्रीय हित की दृष्टि से सटीक व सर्वोपरि थी। महात्मा गांधी की हिन्दू–मुस्लिम एकीकरण की विचारधारा पराजित हुई। इतिहास अपना निर्णय दे चुका था। यह भारत का दुर्भाग्य ही रहा कि इतिहास पर पुस्तकें लिखने वाले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय इतिहास को अनदेखा कर धर्मनिरपेक्षता को ऐसा संरक्षण दिया कि राष्ट्रीय हित नेपथ्य में जाते गए। दो राष्ट्र तो बनने ही थे और बने भी। एक ओर यदि इस्लामिक राष्ट्र बना तो यह सर्वथा तर्कसंगत तथा न्यायसंगत था कि दूसरी ओर भारत हिन्दू राष्ट्र बनता। किन्तु वीर सावरकर की हिन्दुत्व की अवधारणा को ही पूर्णतः नकार दिया गया और भारत पश्चिम में इस्लामिक पाकिस्तान तथा पूर्व में इस्लामिक बांग्लादेश के बीच में फंस कर रह गया। स्वयं भारत में ही जानें कितने पाकिस्तान और बांग्लादेश कुकुरमुत्तों की तरह पनपनें को तैयार हैं। सावरकर केवल व्यक्ति मात्र न थे, हिन्दुत्व को जीवित रखने की एक प्रचंड विचारधारा के ज्वलंत प्रतीक थे। कुछ नेताओं द्वारा वीर सावरकर का अपमान राष्ट्रीय हितों की अवहेलना है और यदि ऐसा ही होता रहा तो वह समय दूर नहीं जब हिन्दुस्तान में भी हिन्दुओं का वही हश्र होगा जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुआ।

(लेखिका स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद की भूतपूर्व प्राचार्या हैं)

ISSN No. 2581-3528

परिवार व्यवस्था को अधिक संस्कारवान बनाने की आवश्यकता

सुनीता निगम

परिवार व्यवस्था भारतीय समाज का महत्वपूर्ण अंग है। यह समाज का मानवता को दिया हुआ अनमोल उपहार है। भारतीय परिवार संरचना जीवन जीने के मूल्यों को सिखाती है। परिवार की संरचना सनातन काल से चली आ रही है। पौराणिक काल से भारतीय परिवार संरचना एक संयुक्त परिवार की थी। लेकिन औद्योगीकरण और नगरीकरण के बाद ये संयुक्त परिवार बिखरने लगे और एकल परिवारों का ट्रेंड तेजी से बढा है। इसके चलते समाज में संस्कारहीनता सहित अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा हो गई हैं। इसलिए यह समाज के बुद्धिजीवियों के लिए चिंतन का विषय बन गया है।

भौतिकतावादी चिन्तन के कारण समाज में आत्मकेन्द्रित व कटुतापूर्ण व्यवहार, असीमित भोग–वृत्ति व लालच, मानसिक तनाव, सम्बंध विच्छेद आदि बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। छोटी आयु में बच्चों को छात्रावास अथवा डे बोर्डिंग में रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। परिवार के भावनात्मक संरक्षण के अभाव में नई पीढ़ी में एकाकीपन भी बढ रहा है। परिणामस्वरूप नशाखोरी, हिंसा, जघन्य अपराध तथा आत्महत्याएं चिन्ताजनक स्तर पर पहुंच रही हैं। परिवार की सामाजिक सुरक्षा के अभाव में वृद्धाश्रमों की सतत वृद्धि हो रही है।

भारत में परिवार संस्था का अस्तित्व अत्यन्त प्राचीन काल से रहा है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद से इस संस्था के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है। पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी जिसमें माता–पिता, पति–पत्नी, भाई–बहन, पुत्र–पुत्री आदि के साथ ही साथ अन्य सम्बन्धी साथ–साथ रहते थे।

सामाजिक संस्थाओं में परिवार का विशेष स्थान है। यह प्राचीन जीवन की मूलभूत इकाई है। परिवार के माध्यम से ही मानव अपना विकास करता है। परिवार से ही समाज का निर्माण होता है तथा यही नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परिवार से संबद्ध न हो। हमारी आवश्यकताएं परिवार के माध्यम से ही पूरी होती हैं। परिवार के अभाव में समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है। परिवार मनुष्य के जीवन की रक्षा करता है और जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है। समाज की निरंतरता परिवार के माध्यम से ही बनी रहती है।

गृह्य सूत्रों में बड़े–बड़े परिवारों का उल्लेख मिलता है। सभी सदस्य पिता की आज्ञा का पालन करते थे। पिता की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र गृहपति बनता था। बौद्ध काल में भी संयुक्त परिवार की प्रथा थी जिसमें सबसे ज्येष्ठ आयु का व्यक्ति गृहपति बनता था। हालांकि कभी–कभी परिवार के सदस्य पिता की आज्ञा के विरुद्ध भिक्षु जीवन में प्रवेश कर जाते थे। बौद्धों तथा जैनों ने गृहत्याग तथा मठ जीवन का आदर्श सामने रखा। इससे संयुक्त परिवार की व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा। पुरुषों के साथ–साथ कभी–कभी स्त्रियां भी अपना परिवार छोड़कर भिक्षुणी बन जातीं तथा घर से दूर मठों में निवास करती थीं। ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार के टूटने का संकट उत्पन्न हो गया। हिन्दू शास्त्रकारों ने परिवार को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से अनेक नियमों का विधान प्रस्तुत किया। मनुस्मृति में इस प्रकार के विधानों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।

भारत में संयुक्त परिवार के अंतर्गत तीन या चार पीढ़ियां शामिल होती हैं। सभी एक छत के नीचे रहते हैं, काम करते हैं, और सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में सहयोग करते हैं। टाटा, बिड़ला और साराभाई जैसे कई प्रमुख भारतीय परिवार आज भी संयुक्त परिवार व्यवस्था बनाए रखते हैं और वे देश के कुछ सबसे बड़े वित्तीय साम्राज्यों को नियंत्रित करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

भारतीय संयुक्त परिवार संरचना एक प्राचीन परिघटना है, लेकिन 20वीं सदी के अंत में इसमें कुछ बदलाव आया है। बड़े परिवारों को अंततः आधुनिक भारतीय जीवन के अनुकूल होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आधुनिक जीवन शैली, आधुनिक व्यवसाय और विश्वास अंततः समायोजित होने के लिए समस्याओं का

ISSN No. 2581-3528

सामना कर रहे हैं। संयुक्त परिवार अब शहरों में काफी दुर्लभ है।

आधुनिकीकरण और नगरीकरण का चक्र तेज होने के साथ ही एकल परिवार विकसित हुए हैं। भारतीय संयुक्त परिवार और भी बड़े हो गए और अंत में वे समय के साथ एक अपेक्षित चक्र से गुजरते हुए छोटी इकाइयों में परिवर्तित हो गए। कुछ सदस्यों को रोजगार के अवसरों के लिए गांव से शहर या एक शहर से दूसरे शहर में जाने के कारण एकल परिवारों का विकास हुआ है।

संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन के लिए कई कारक जिम्मेदार रहे हैं। आधुनिकीकरण ने लोगों की अधिक गतिशीलता, और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच अधिक बातचीत को जन्म दिया है, जिससे लोगों के मूल्यों और संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए मेट्रो शहरों में "लिव–इन रिलेशनशिप", विवाह पूर्व एक नया चलन है बढ़ा है।

नए रोजगार और शैक्षिक अवसरों की तलाश में युवा पीढ़ी की बढ़ती गतिशीलता ने पारिवारिक संबंधों को कमजोर कर दिया है। इसने बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों की देखभाल और पोषण इकाई के रूप में परिवार की धारणा को प्रभावित किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला प्रधान परिवार इकाइयों में भी वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि पुरुष अक्सर कार्य की खोज में पलायन करते हैं। युवा पीढ़ी, विशेष रूप से उच्च शिक्षा और नौकरियों वाले अब पारिवारिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग करने में विश्वास नहीं करते हैं। यह विवाह प्रणाली में विशेष परिवर्तन आया है।

चूंकि महिलाएं अब पूर्व की अपेक्षा अधिक शिक्षित एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, इसलिए घरेलू निर्णयों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहां वैश्वीकरण के प्रभाव को आईटी से संबंधित नौकरियों में उनके उत्कर्ष को देखा जा सकता है। महिलाएं इस क्षेत्र का एक बड़ा भाग हैं। शहरी क्षेत्रों में अच्छी तरह से नियोजित महिलाओं को आजीविका कमाने के साथ–साथ घर के कामों के दोहरे कर्तव्य को संभालने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ता है।

यही नहीं, विवाहित पुरुष और महिलाएं अपने रोजगार के कारण भिन्न स्थानों पर अलग–अलग रह रहे हैं। समाज में एकल माता–पिता भी पाए जाते हैं। न केवल वैवाहिक संबंध बल्कि माता–पिता–बच्चों के संबंधों में भी उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। अधिकांश कामकाजी दंपति परिवारों में, माता–पिता अपने बच्चों से मिलने और बातचीत करने के लिए समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बीपीओ, केपीओ और कॉल सेंटर की नौकरियों में रात की पाली में काम करना आम बात है।

आज परिवार व्यवस्था को जीवंत तथा संस्कारवान बनाए रखने के लिए गंभीर और सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। समाज के हर वर्ग का यह दायित्व है कि वह अपने दैनन्दिन व्यवहार व आचरण से यह सुनिश्चित करे कि वो परिवार को पुष्ट करने वाला, संस्कारित व परस्पर संबंधों को सुदृढ़ करने वाला हो। सपरिवार सामूहिक भोजन, भजन, उत्सवों का आयोजन व तीर्थाटन, मातृभाषा का उपयोग, स्वदेशी का आग्रह, पारिवारिक व सामाजिक परंपराओं के संवर्धन व संरक्षण का प्रयास करे। इससे परिवार सुखी व आनंदित होंगे।

परिवार व समाज परस्पर पूरक हैं। समाज के प्रति दायित्वबोध निर्माण करने के लिए सामाजिक, धार्मिक व शैक्षणिक कार्यों हेतु दान देने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के यथासंम्भव सहयोग के लिए तत्पर रहना हमारे परिवार का स्वभाव बने। चूंकि समाज का निर्माण परिवार से और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है, इसलिए परिवार का स्वस्थ एवं सशक्त होना आवश्यक है। इसलिए समाज के बुद्धिजीवी एवं युवा पीढ़ी की अहम जिम्मेदारी है कि वे अपनी इस अनमोल परिवार व्यवस्था को अधिक से अधिक सजीव, प्राणवान और संस्कारवान बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(लेखिका कहानीकार हैं)

ISSN No. 2581-3528

अनुसंधान और नवाचार से मोदी सरकार विकास को कैसे गति दे रही है?

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

विश्व स्तर पर, नवाचार ने मानव प्रगति को आगे बढाया है। यह केवल तकनीकी प्रगति नहीं है। वास्तव में, एक नवोन्मेष–संचालित समाज की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसके लोगों का गतिशील रवैया है। मजबूत नवाचार क्षमताओं वाले देशों ने सभी स्तरों पर मानव पूंजी विकास में महत्वपूर्ण निवेश किया है। लक्ष्य तकनीकी ज्ञान के अलावा अन्य कौशल विकसित करना रहा है, जैसे कि कल्पनाशील सोच, जटिल मुद्दों से निपटने के तरीके तैयार करना और समय के साथ चलना। नतीजतन, मानव पूंजी नए विचारों, ज्ञान और प्रथाओं का स्रोत है।

आधुनिक भारत ने यह महसूस करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बहुत जोर दिया है कि यह आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रौद्योगिकी लेनदेन के लिए भारत दुनिया का तीसरा सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य है। भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती संख्या के साथ, हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में निवेश में वृद्धि देखी गई है।

सरकार ने भारत को एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में पेश करने और अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई नीतियों को लागू किया है। परिणामस्वरूप, भारत का सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय (जीईआरडी) पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। सरकार ने देश में उन्नत अनुसंधान के लिए मानव क्षमता विकसित करने के लिए कई फैलोशिप कार्यक्रम भी स्थापित किए हैं।

बढ़ती ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के साथ, भौतिक आदानों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे तकनीकी और वैज्ञानिक नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए कुशल कार्यबल पर अधिक जोर देने की आवश्यकता होती है। भारत की आबादी 1.4 अरब है और यह दुनिया की युवा आबादी का पांचवां हिस्सा है। हम अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग नवाचार को प्रोत्साहित करने और देश को ज्ञान अर्थव्यवस्था बनने की ओर ले जाने के लिए मेहनत कर सकते हैं।

पिछले आठ वर्षों में अनुसंधान और विकास में उपलब्धियां गिनाते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय पिछले कुछ वर्षों में तीन गुना से अधिक बढ़ गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में 5 लाख से अधिक अनुसंधान एवं विकास कर्मी हैं, यह आंकड़ा पिछले आठ वर्षों में 40–50 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि बाह्य अनुसंधान एवं विकास में महिलाओं की भागीदारी दोगुनी से अधिक हो गई है, और भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विज्ञान और इंजीनियरिंग (एसएंडई) में पीएचडी की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है।

2015 में लाल किले से पीएम मोदी द्वारा स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत का जिक्र करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में अब 75,000 स्टार्ट–अप का देश है। आईटी, कृषि, विमानन, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में टीयर –2 और टीयर –3 शहरों से 49 प्रतिशत स्टार्ट–अप के साथ भारत अब सिर्फ महानगरों में केंद्रित नहीं है।

2014 से 2021 तक, भारत ने पेटेंट स्वीकृतियों में 572 प्रतिशत की वृद्धि देखी। नवंबर 2022 में, भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट कृषि में सहयोग का विस्तार करने के लिए आसियान–भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त योगदान की घोषणा की। केंद्रीय बजट 2022–23 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को रुपये 14,217 करोड़ (US$ 1.86 बिलियन) का आवंटन। परमाणु ऊर्जा मंत्रालय को रुपये 22,723.58 करोड़ (यूएस $ 2.97 बिलियन), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) 6,000 करोड़ रुपये (यूएस $ 785.64 मिलियन), और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने रुपये 2,653.51 करोड़ (US$ 347.45 मिलियन) प्राप्त किए।

भारत दुनिया की तीसरी सबसे नवीन निम्न–मध्यम–आय वाली अर्थव्यवस्था है। भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से अनुसंधान एवं विकास निवेश में वृद्धि होगी, कई विदेशी ताकतवर कंपनियां देश में अनुसंधान एवं विकास आधार स्थानांतरित कर रहे हैं। अनुसंधान एवं विकास निवेश और विभिन्न प्रकार की सरकारी नीतियों ने कम लागत वाले उत्पादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने में भारतीय कंपनियों की सहायता की है।

भारत अन्य देशों के साथ सहयोग करके अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता है। 45 से अधिक देशों में भारत के साथ सक्रिय द्विपक्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) सहयोग कार्यक्रम हैं, जिनमें अफ्रीका, आसियान, ब्रिक्स, यूरोपीय संघ और पड़ोसी देशों के लिए समर्पित कार्यक्रम शामिल हैं। 2021 के दौरान, भारत ने डेनमार्क के साथ भी सहयोग किया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में हरित रणनीतिक साझेदारी को लागू करने के लिए पंचवर्षीय योजना पर सहमति व्यक्त की।

भारत औद्योगीकरण और तकनीकी विकास में खुद को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। जैसा कि भारत अपनी परमाणु क्षमता का विस्तार करना चाहता है, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास की संभावना है। इसके अलावा, नैनो टेक्नोलॉजी से भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग में क्रांति आने की उम्मीद है। सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी संचालित हरित क्रांति में भारी निवेश के साथ कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की उम्मीद है। भारत सरकार, अन्य बातों के अलावा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) नीति के माध्यम से भारत को दुनिया की शीर्ष पांच वैज्ञानिक शक्तियों में शामिल करने की इच्छा रखती है।

2021 के लिए यूनेस्को की विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब क्रय शक्ति समानता के संदर्भ में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली

ISSN No. 2581-3528

की तुलना में अनुसंधान पर अधिक खर्च करता है। भारत का दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान हैं, जो चीन और अन्य उन्नत देशों को पीछे छोड़ देता है। देश वर्तमान में अत्यधिक महत्वाकांक्षी 'डिजिटल वाणिज्य के लिए खुला नेटवर्क' (ओएनडीसी) और कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर काम कर रहा है।

अवसर और भविष्य की चुनौतियां : 'विज्ञान के प्रयास महान उपलब्धियों में तभी बदल सकते हैं जब वे प्रयोगशाला से निकलकर जमीन पर पहुँचें, और उनका प्रभाव वैश्विक से जमीनी स्तर तक पहुँचे, जब उसका दायरा पत्रिका से जमीन (जमीन, रोजगर्रा की जिंदगी) तक हो, और जब बदलाव हो वह अनुसंधान से लेकर वास्तविक जीवन तक दृश्यमान हो,' पीएम मोदी ने ज्ञान को कार्रवाई योग्य और सहायक उत्पादों में बदलने की वैज्ञानिकों की चुनौती के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि जब वैज्ञानिक उपलब्धियां प्रयोगों और लोगों के अनुभवों के बीच की खाई को पाटती हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं और वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करती हैं। ऐसे युवाओं की सहायता के लिए, प्रधान मंत्री ने एक संस्थागत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने समूह से इस तरह के एक सक्षम संस्थागत ढांचे को बनाने पर काम करने का आग्रह किया।

देश में विज्ञान के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाले मुद्दों को उजागर करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत की जरूरतों को पूरा करना पूरे वैज्ञानिक समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। 'भारत में विज्ञान को देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए', प्रधान मंत्री ने कहा, यह देखते हुए कि दुनिया की 17–18 प्रतिशत आबादी भारत में रहती है, और इस तरह की वैज्ञानिक प्रगति से पूरी आबादी को लाभ होना चाहिए। उन्होंने उन मुद्दों पर काम करने के महत्व पर जोर दिया जो पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण हैं। देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि भारत एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रहा है और इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए भारत में इलेक्ट्रोलाइजर जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण के महत्व पर जोर दिया।

प्रधान मंत्री ने उभरती हुई बीमारियों से निपटने के तरीके विकसित करने के साथ–साथ नए टीकों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के महत्व पर वैज्ञानिक समुदाय की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने वास्तविक समय में रोग का पता लगाने के लिए एकीकृत रोग निगरानी पर चर्चा की। उन्होंने इस पर सभी मंत्रालयों के एक साथ काम करने के महत्व पर जोर दिया। इसी तरह, वैज्ञानिक LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) आंदोलन के लिए बहुत मददगार हो सकते हैं।

जैसा कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, जैव–चिकित्सा अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट बढ़ता जा रहा है, और सरकार एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, प्रधान मंत्री ने अपशिष्ट प्रबंधन में विज्ञान की भूमिका पर जोर दिया।

प्रधान मंत्री ने भारत के संपन्न अंतरिक्ष क्षेत्र में कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों की भूमिका को स्वीकार किया और कहा कि दुनिया हमारी सेवाओं की मांग करेगी। प्रधान मंत्री ने निजी कंपनियों और स्टार्टअप के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करने के लाभों पर जोर दिया। उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग का भी उल्लेख किया और बताया कि कैसे भारत खुद को दुनिया में क्वांटम फ्रंटियर के रूप में स्थापित कर रहा है। प्रधान मंत्री ने कहा, 'भारत क्वांटम कंप्यूटर, रसायन विज्ञान, संचार, सेंसर, क्रिप्टोग्राफी और नई सामग्री की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है,' युवा शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों से क्वांटम विशेषज्ञता हासिल करने और लीडर बनने का आग्रह किया।

पीएम मोदी ने भविष्य के विचारों और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर दिया जहां कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि एआई, एआर और वीआर को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय से सेमीकंडक्टर चिप्स में नवाचार विकसित करने और सेमीकंडक्टर पुश भविष्य को अभी से तैयार रखने पर विचार करने का आग्रह किया। 'अगर देश इन क्षेत्रों में नेतृत्व करता है, तो हम उद्योग 4.0 का नेतृत्व करने में सक्षम होंगे,' उन्होंने कहा। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों के आधार पर, अनुसंधान एवं विकास वर्तमान यू एस डॉलर 3–ट्रिलियन भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद कर सकता है।

आरएंडडी निवेश में वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निजी क्षेत्र और विश्वविद्यालयों की भागीदारी, स्टार्टअप कंपनियों के लिए प्रोत्साहन, और स्टार्टअप के लिए उचित कर कुछ ऐसे कारक हैं जो भारतीय आरएंडडी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को उत्प्रेरित कर सकते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2020 में एक एकीकृत नई शिक्षा नीति की शुरुआत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान में उभरती गतिशीलता को पूरा करने के साथ–साथ संबंधित क्षेत्रों में मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के प्रयास में की। एनईपी 2020 के अधिक तेजी से और उच्च गुणवत्ता वाले कार्यान्वयन से अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में डॉक्टरेट कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए देश के टैलेंट पूल को आकर्षित करने के लक्ष्य के साथ 2019 में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ प्रधान मंत्री अनुसंधान फैलोशिप (पीएमआरएफ) योजना शुरू की गई थी। इस बीच, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (IMPRINT) प्रोग्राम की स्थापना 2015 में 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट के साथ की गई थी, ताकि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और शोध ज्ञान को व्यवहारिक तकनीकी उत्पादों और प्रक्रियाओं में बदलने के लिए आत्मनिर्भरता की चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

निवासी/अनिवासी स्थिति द्वारा वर्गीकृत चीन, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में दायर पेटेंट, यह इंगित करता है कि लगभग 75 प्रतिशत भारतीय पेटेंट अनिवासियों द्वारा दायर किए जाते हैं। इसे इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि भारतीय विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण प्रतिभा पलायन का सामना कर रहे हैं। कई शोधकर्ता दूसरे देशों में करियर बनाने के लिए देश छोड़कर जा रहे हैं। दरअसल, पांच भारतीय विश्वविद्यालयों के 2016 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 65 प्रतिशत स्नातक कई कारणों से विदेश जाना चाहते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि यदि भारत को देश के प्रतिभा पूल को बनाए रखना है तो उसे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अपना अनुसंधान एवं विकास खर्च बढ़ाना होगा। मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कई कारगर कदम ब्रेन ड्रेन को कम कर रहे हैं। हालाँकि, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और जिम्मेदार नागरिक के रूप में, माता–पिता और शिक्षकों को प्रत्येक युवा व्यक्ति के राष्ट्रीय चरित्र को विकसित करने के बारे में सोचना चाहिए और काम करना चाहिए।

वर्तमान सरकार की 2024 के बाद भी निरंतरता इसे गति, सटीकता और अधिक ऊंचाई संभव बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

(लेखक ब्लॉगर एवं शिक्षाविद हैं)

ISSN No. 2581-3528

उत्तर प्रदेश में लिखा जा रहा निवेश का नया अध्याय

मृत्युंजय दीक्षित

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस बार निवेश का नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है और अपराधियों तथा हर प्रकार के छोटे बड़े गुडों और माफिया समूहों पर लगाम लगाई जा रही है। जिसके कारण प्रदेश की छवि देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी सुधरी है। जिसके कारण सभी भारतीय और विदेशी निवेशक अभूतपूर्व संख्या में उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता और सतर्कता की इसमें बड़ी भूमिका है।

आगामी फरवरी माह में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मलेन (ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट) प्रस्तावित है। इसमें सरकार ने 17 लाख करोड़ रूपये का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा था और व्यापक स्तर पर प्रयास आरम्भ किए थे जिनका परिणाम अब धरातल पर दिखायी पड़ने लगा है। प्रदेश में अगले माह प्रस्तावित ग्लोबल समिट के पूर्व ही अब तक 15 लाख करोड़ रूपए से अधिक के प्रस्ताव सरकार के स्तर से प्राप्त कर लिए गये हैं। विदेशों में सरकार के मंत्रियों का रोड शो संपन्न हो चुका है और अब स्वदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुम्बई दौरा चर्चा का विषय रहा। प्रदेश सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न राज्यों की राजधानियों व चुनिंदा शहरों में तो भव्य रोड शो करवा ही रही है, प्रदेश के जिला मुख्यालयों में भी निवेशकों को आकर्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है।

निवेश अभियान के अंतर्गत सरकार की ओर से कुल 37 सेक्टरों को निवेश के लिए चिन्हित किया गया था इनमें से 23 सेक्टर में एमओयू की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। 10 जनवरी तक पर्यटन विभाग ने 38 हजार करोड़ से अधिक के एमओयू कर लिए हैं जबकि पर्यटन विभाग को 40 हजार करोड़ का लक्ष्य मिला था। ऊर्जा विभाग ने एक लाख करोड़ के संशोधित लक्ष्य के सापेक्ष 75 हजार से अधिक के एमओयू किये हैं। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक विभाग और यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपेंट अथॉरिटी ने भी 57 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर लिए हैं। हैंडलूम व टेक्स्टाइल ने भी करीब 27 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किये हैं।

मुख्यमंत्री ने अपनी मुम्बई यात्रा के दौरान ही शीर्ष औद्योगिक समूहों के साथ चर्चा कर पांच लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किये। रिलायंस, टाटा संस, अदाणी, गोदरेज, रिजला, पीरामल, वेदांता, पार्ली, हिंदुजा, लोढ़ा और रैंसकी सहित दो दर्जन से अधिक औद्योगिक समूहों के प्रमुखों से मुलाकात के दौरान इन निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने मुम्बई दौरे के दौरान फिल्मी हस्तियों के साथ मुलाकात की और प्रदेश में बन रही फिल्म सिटी पर चर्चा के साथ ही सिनेमा जगत के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। इस दौरान कई फिल्मी हस्तियों ने उप्र सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की और यूपी को सबसे सुरक्षित बताया। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि यूपी फिल्म सिटी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है जबकि एक अन्य अभिनेता राजपाल यादव ने कहा कि यूपी में शूटिंग के लिए हर लोकेशन उपलब्ध है।

प्रदेश के मंत्रियों व अधिकारियों का दल तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भी गया और दिल्ली में भी रोड शो का आयोजन हो चुका है। पंजाब से भी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो का आयोजन हुआ। चेन्नई के उद्यमियों ने काशी में आयोजित तमिल संगम की सराहना की। उद्यमियों ने कहा कि यूपी में हाल के वर्षों में काफी विकास हुआ है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि तमिलनाडु के उद्यमियों को विकास में साझीदार बनाने की पहल की गयी है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में पैटनर्स एनर्जी कंपनी के संचालक अमरनाथ ने कहा कि उनकी कंपनी मथुरा में नगर निगम के साथ मिलकर प्लास्टिक वेस्ट सॉल्यूशन के क्षेत्र में काम कर रही है और योगी शासन में यूपी में कार्य करने का काफी सुखद अनुभव रहा है।

उद्योग जगत व बैंकर्स भी यूपी के विकास और विजन की सराहना कर रहे हैं। व्यापारिक समुदाय का प्रदेश में विश्वास बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस विकास पर है। प्रदेश सरकार अपनी जीएसडीपी को बढ़ाने का हरसंभव प्रयास

ISSN No. 2581-3528

कर रही है। इसके लिए कृषि तथा कृषि आय को बढ़ावा देने के लिए भी सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार निवेशकों को स्टार्टअप के तहत भी आंमत्रित कर रही है। यह प्रदेश में लाजिस्टिक से जुड़े क्षेत्रों के लिए भी एक बेहतर अवसर है।

प्रदेश में निवेश बढ़ाने के मुख्यमंत्री के प्रयासों का असर अब जिलों तक भी पहुंच गया है। बहराइच और बाराबंकी जैसे छोटे जिले इसका उदाहरण बन कर उभरे हैं। इन दोनों जनपदों में 2,600 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों के एमओयू हस्ताक्षरित किये गये हैं। बहराइच और बाराबंकी के मॉडल के तहत उद्यमियों से सीधा जुड़ने और उनकी सभी परेशानियों के समाधान के लिए हेल्प डेस्क बनायी गयी है जिससे सभी एमओयू को धरातल पर उतारा जा सके। इससे ज्यादा से ज्यादा निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी और फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेशक प्रेरित होंगे।

बड़े जनपदों में राजधानी लखनऊ में भी एक दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया जिसमें लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 56,299 करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। संगम नगरी में 35 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यहां पर आयोजित समिट में प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के उद्यमियों ने निवेश के लिए झोली खोल दी। निवेशक सम्मेलन में लगभग आठ सौ निवेशकों का पंजीकरण हुआ और 35,307 करोड़ रूपये के प्रस्ताव आये और एमओयू साइन भी किए गये। इन परियोजनाओं में 20 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। लखनऊ में ग्लोबल समिट के पूर्व आस्ट्रेलिया, सिंगापुर की कंपनियों से 24,560 करोड़ रूपये का निवेश करने का समझौता हुआ।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक में कह रहे हैं कि सभी सांसद और विधायक अपने जिलों में निवेश के एम्बेस्डर बनें जिससे प्रदेश 2027 तक दस खरब अमेरिकी डालर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी सांसद और विधायक भी जिला स्तर पर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर उसका नेतृत्व करें। मुख्यमंत्री अपने सभी सांसदों और विधायकों से एक जिला एक उत्पाद योजना का भी ब्रांड एम्बेस्डर बनने की सलाह दे रहे हैं जिससे जनप्रतिनिधियों का उत्साह बढ़ रहा है।

यदि निवेशकों के साथ हस्ताक्षरित सहमति पत्र मानक हैं तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि जिस प्रदेश मे वह रह रहे हैं अब उसकी साख बढ़ रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण को तीन लाख करोड़ रूपये के निवेश का लक्ष्य मिला था। अब तक साढ़े चार लाख करोड़ रूपये के निवेश पर सहमति बन चुकी है। यह निवेश प्रदेश के लिए गर्व की बात है और यदि यह निवेश पूरी ईमानदारी के साथ धरातल पर उतर आता है तो प्रदेश के जनसामान्य की प्रगति और खुशहाली को कोई रोक नहीं सकता।

तथापि प्रदेश की यह विकास यात्रा योगी जी के विरोधियों को रास नहीं आ रही है। एक ओर समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव निवेश के दावों पर सवाल खड़े करते हुए कह रहे हैं कि सरकार पहले यह बताये कि इससे पहले निवेश के लिए जो एमओयू साइन हुए थे उनमें से कितना निवेश जमीन पर उतरा? वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो बहिन मायावती निवेश आमंत्रण अभियान को महज नाटकबाजी कह रही हैं। ये सभी विरोधी दल आज सरकार पर तंज कस रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि योगी सरकार से पूर्व के 25 वर्षो में प्रदेश में भारी राजनीतिक अस्थिरता, दंगे और कानून व्यवस्था की बदहाली के कारण प्रदेश में निवेश करने में निवेशकों को भय लगता था। किन्तु 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश ने सुशासन और ईज आफ डुइंग बिजनेस के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन किया है बढ़ता हुआ निवेश इसी का परिणाम है।

(लेखक स्तम्भकार हैं)

केशव संवाद मासिक पत्रिका के डिजिटल
प्लेटफॉर्म से जुड़ें एवं
केशव संवाद को सोशल मीडिया
पर FOLLOW करें।
केशव संवाद
FACEBOOK
Keshav Samvad @keshavsamvad @KeshavSamvad samvadkeshav

ISSN No. 2581-3528

उत्तराखण्ड में डेमोग्राफी बदलने का षडयंत्र है हल्द्वानी का अतिक्रमण

बिभाकर झा

रूस युक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। पीएम मोदी की इस सोच को पूरी दुनिया ने सराहा। लेकिन मुस्लिम इस बात को बहुत पहले जान चुके थे। इसलिए भारत में उन्होंने सालों पहले लव जिहाद और लैंड जिहाद का छद्म् युद्ध शुरू कर दिया था। जिसे वोट बैंक के नाम पर राजनीतिक समर्थन और मानवता के नाम पर न्यायालय का संरक्षण मिलता रहा है। जिसके बाद मुस्लिमों ने घर, धार्मिक स्थल और धार्मिक आयोजन के नाम पर देश की जमीनों पर कब्जा कर देश विरोधी गतिविधियों का संचालन करना शुरू कर दिया। उन्हें पता है कि कोर्ट और राजनीतिक दल उनके बचाव सुरक्षा में अवश्य खड़े होंगे। जिसका एक उदाहरण है उत्तराखण्ड का हल्द्वानी। जहां लैंड जिहादियों ने साजिश के तहत रिहायश के जरिये रेलवे की कीमती जमीनों पर कब्जा कर लिया।

जमीन का यह कब्जा महज अवैध कब्जा नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखण्ड में पैर जमाते जिहादियों का षडयंत्र है। दरअसल इस कब्जे के माध्यम से वह देवभूमि उत्तराखण्ड में भी डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये लोग मजारों और 'चादर जिहाद' को रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसका मकसद उत्तराखण्ड की डेमोग्राफी को बदलना है। अब आप लैंड जिहादियों के द्वारा जमीन कब्जाने के पूरे पैटर्न को समझिए। दरअसल आजादी से पहले हल्द्वानी में इस जगह पर कुछ घर हुआ करते थे। तब रेलवे की बहुत सारी जमीनें खाली हुआ करती थी। 1975 के आस–पास इस इलाके में झुग्गियां बननी शुरू हुई और कुछ वर्षों के अन्दर ही इन झुग्गियों को पक्के मकानों और भवनों में बदल दिया गया। तत्कालीन सरकारों ने तुष्टिकरण के चलते इन लोगों के राशन कार्ड एवं वोटर आईडी कार्ड भी बना दिए गए। वोट बैंक की राजनीति के चलते बिजली और पानी के कनेक्शन भी दिए गए और बाद में इसी पते पर इनके आधार कार्ड भी बना दिए गए। यानि आप कागजातों की बात करेंगे तो एक नागरिक के तौर पर अब इनके पास सारे कागजात हैं। राशन कार्ड भी है और ये यहां वोट भी देते हैं।

अब आपको समझ में आ गया होगा कि वोट लेने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत उत्तराखण्ड में ये सब किया गया। सवाल ये है कि अगर कोई गलत काम दशकों से हो रहा है तो क्या उसे सही मान लिया जाए? क्योंकि ये गलत काम पचास साल पहले से हो रहा है और पचास साल से चलता आ रहा है। तथाकथित बुद्धिजीवी

ISSN No. 2581-3528

लोग तो यही कह रहे हैं। दरअसल हल्द्वानी की जिस जगह पर मुस्लिमों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा किया वहां आज 4500 परिवार के लगभग पचास हजार लोग रहते हैं। जिसमें से 30–35 हजार लोग हर चुनाव में वोट डालते हैं। हल्द्वानी के पूरे विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 1,35,000 है। इस स्थिति में यहां की 30–35 हजार वोटों का महत्व बढ़ जाता है और रेलवे की 700 करोड़ की इस कीमती जमीन पर 35,000 वोटों के लिए पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा यह अतिक्रमण होने दिया गया। सत्ता के दलाल वोट बैंक के लिए इनको भरोसा देते हैं वे उनकी जमीन नहीं छिनने देंगे। कॉंग्रेस और जिहादियों का ये बिजनेस मॉडल हल्द्वानी या केवल एक–दो जगहों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे उत्तराखण्ड में फैला हुआ है। बात नैनीताल की करे तो यहां भी अवैध कब्जे के कारण डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव हो रहा है। केवल दस सालों में ही मुस्लिमों की संख्या करीब 20,000 तक बढ़ चुकी है और कई इलाकों में जहां पहले कुछ ही मुस्लिमों की आबादी थी, अब वहां बड़ी–बड़ी बस्तियां बन चुकी हैं। वहीं रुद्रपुर में भी हाईवे किनारे एक मजार को लेकर विवाद चल रहा है, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले में बढ़ते क्राइम का कारण वहां मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक जमीन रखने वाला वक्फ बोर्ड मानवता के नाम पर इन लोगों को अपनी संपत्ति पर क्यों नहीं बसने देता है? सवाल तो ये भी है कि सारे मुस्लिम शरणार्थी केलव गैर मुस्लिम देशों में ही शरण लेने के लिए क्यों जाते हैं? दरअसल मानवता से इनका कोई संबंध नहीं है। वास्तव में कभी शरणार्थी बनकर तो कभी मानवता के नाम पर दूसरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करना इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है।

स्पष्ट है कि मुस्लिम सिर्फ बसने के लिए जमीन नहीं कब्जाते हैं बल्कि डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव कर हिन्दूओं को पलायन करने के लिए मजबूर करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। इसको समझने के लिए आपको जम्मू–कश्मीर के इतिहास को समझना पड़ेगा जहां जनसांख्यिकीय परिवर्तन के कारण हजारों हिंदुओं को अपनी जान और धार्मिक पहचान बचाने के लिए वहां

से पलायन करना पड़ा था। उत्तराखण्ड के स्थानीय लोगों को इस खतरे का अंदाजा है तभी वह कहते हैं मामला नैनीताल या हल्द्वानी में जमीन कब्जे का नहीं है बल्कि ये हमारी आस्था और पहाड़ को बचाने का मामला है। सच तो यह है कि 'लैंड जिहाद' की समस्या ने पूरे उत्तराखंड को घेर लिया है, और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण के नाम पर कट्टरपंथी मुसलमानों को पनपने की पूरी स्वतंत्रता दी, जो आज दीमक की भांति पूरे उत्तराखंड को अंदर से खोखला कर रही है। इसी तुष्टिकरण का नतीजा है कि उत्तराखण्ड में पिछले 10 वर्षों में लगभग 400 मस्जिदों एवं मंदिरों का निर्माण हो चुका है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र को चिन्हित करके यहाँ योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ाई जा रही है। बनबसा, जौलजीबी, पिथौरागढ़, धारचूला, खटीमा, झूलाघाट में मस्जिदें और मदरसे भारी संख्या में बनाए जा रहे हैं। स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि असम के बाद सबसे अधिक उत्तराखण्ड में ही मुस्लिम आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। इसका सबसे अधिक प्रभाव हरिद्वार में देखने को मिल रहा है जहां मुस्लिमों की संख्या 20 लाख के करीब पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि बीते दस सालों में यहां मुस्लिमों की संख्या 40 प्रतिशत बढ़ी है। जिसके कारण धर्मनगरी हरिद्वार में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है।

डेमोग्राफी में आए इस बदलाव को आप इस आंकड़े के जरिये समझ सकते हैं कि हरिद्वार शहर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ रही है। जिले की कुल आबादी में मुस्लिमों की संख्या अब 37.39 प्रतिशत हो गई है। गौरतलब है कि साल 2011 के बाद से राज्य में कोई जनगणना नहीं हुई है। इसलिए कई जानकारों का मानना है कि 2011 की तुलना में राज्य में मुस्लिम जनसंख्या 11.9 प्रतिशत से बढ़कर अब लगभग 20 प्रतिशत तक हो गई है। यही कारण है कि पहले लव जिहाद, फिर लैंड जिहाद से आए हुए डेमोग्राफिक बदलाव के कारण देवभूमि की पवित्रता अब खतरे में आ गई है। प्रदेश की स्थिति पर गौर करें तो हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा ऐसे जिले हैं, जहां हाल के कुछ वर्षों में आश्चर्यजनक तरीके से जनसांख्यिकीय बदलाव आया है। स्पष्ट है कि मुस्लिम चरमपंथी जहां लव जिहाद के जरिये हिन्दू कोख का इस्तेमाल मुस्लिम आबादी बढ़ाने में कर रहा है वहीं हिन्दूओं की जमीनों पर कब्जा कर इस्लामी क्षेत्र का विस्तार भी कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सर्प शैय्या पर लेटे आनन्द की नींद ले रहे हिन्दूओं को इस खतरे का एहसास ही नहीं है कि जिस सर्प शैय्या पर वे आनन्द ले रहे हैं उसकी लपलपाती जीभ उसे निगलने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस सबके बीच अभी भी बहुत से तुष्टिकरण से जुड़े राजनीतिक दल लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे किसी षडयंत्र को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। सच ये है कि आंखे मूंद लेने से सूर्यास्त नहीं हो जाता। राजनीति से उपर उठकर देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने में सभी दलों को अपना सहयोग देने की आवश्यकता है जिससे उत्तराखण्ड को दूसरा कश्मीर बनने से रोका जा सके।

(लेखक पत्रकार है)

ISSN No. 2581-3528

कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते प्रवासी भारतीय

प्रहलाद सबनानी

हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व का विषय है कि आज लगभग समस्त विकसित देश भारतीय मूल के नागरिकों को अपने देशों की नागरिकता प्रदान करने के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। यह सब इसलिए सम्भव हो पाया है क्योंकि विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों ने अपनी उच्च शिक्षा, कौशल, ईमानदारी, मेहनत के बल पर एवं महान भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए इन देशों में अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज की है तथा इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गतिशील बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया है। विशेष रूप से आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर, जापान सहित अन्य कई विकसित देश आज इस प्रकार की नई नीतियां बनाने में जुटे हैं कि किस प्रकार इन देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को वहां के राजनैतिक क्षेत्र में भी भागीदार बनाया जाये ताकि इन देशों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था में सुधार किया जा सके। इन समस्त देशों के मूल नागरिकों में आज महान भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ता रुझान भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। यह समस्त देश आज भारतीय मूल के अपने नागरिकों को राष्ट्रीय आर्थिक सम्पत्ति मानने लगे हैं, जो इन देशों के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। भारतीय मूल के अधिक से अधिक नागरिकों को अपने देश में आकर्षित करने के लिए आज इन देशों के बीच एक तरह से आपस में प्रतियोगिता सी चल रही है।

आज भारतीय मूल के 320 लाख से अधिक नागरिक विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे हैं। इनमें 140 लाख भारतीय नागरिक प्रवासी भारतीय के रूप में इन देशों में रह रहे हैं एवं शेष 180 लाख भारतीय मूल के रूप में इन देशों के नागरिक बन चुके हैं। कुल मिलाकर 146 से अधिक देशों में भारतीय मूल के नागरिक निवास कर रहे हैं। केरेबियन देशों, उत्तरी अमेरिका, फीजी, दक्षिण एवं पूर्वी अफ्रीका एवं मलेशिया में तो भारतीय मूल के नागरिक लगभग 200 वर्षों (शताब्दियों) से अधिक समय से निवास कर रहे हैं एवं आज वहां भारतीयों की कई पीढियां निवास करती आ रही हैं। पिछले कुछ दशकों (दशाब्दियों) से गल्फ के देशों में भी भारतीय मूल के नागरिक निवासरत हैं एवं इन देशों की अर्थव्यवस्था को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं तो वहीं वर्ष 1965 के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर एवं आस्ट्रेलिया जैसे कई विकसित देशों में भारतीयों ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है एवं विशेष रूप से इन देशों के सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं विज्ञान जैसे क्षेत्रों के

ISSN No. 2581-3528

विकास में अपना अतुलनीय योगदान दिया है।

विशेष रूप से 1990 के दशक में एवं इसके बाद के वर्षों में उच्च शिक्षा एवं उच्च कौशल प्राप्त भारतीय विकसित देशों में विशेष रूप से तकनीकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में उच्च कौशल से युक्त पदों पर कार्य करने हेतु इन देशों की ओर आकर्षित हुए। साथ ही, इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से भी लाखों की संख्या में भारतीय छात्र इन देशों में अप्रवासी भारतीय के रूप में दाखिल हुए। आज विश्व में तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में, विशेष रूप से विकसित देशों सहित, इन उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीयों पर जबरदस्त विश्वास की भावना पाई जा रही है क्योंकि इन भारतीयों ने अपनी महान सनातन संस्कृति का पालन करते हुए अपनी दक्षता को भी पूर्ण रूप से सिद्ध किया है।

वर्ष 2016 में आस्ट्रेलिया में 6.76 लाख भारतीय मूल के नागरिक (आस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या का 2.8 प्रतिशत), जिन्होंने आस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, निवास कर रहे थे। साथ ही, 4.55 लाख भारतीय (आस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या का 1.9 प्रतिशत), प्रवासी भारतीय के तौर पर आस्ट्रेलिया में निवास कर रहे थे। आस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के नागरिकों की जनसंख्या वर्ष 2006 से वर्ष 2016 के बीच 10.7 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ सबसे तेज गति से बढ़ रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2031 तक भारतीय मूल के नागरिकों की जनसंख्या चीनी मूल के नागरिकों की जनसंख्या को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर आ जाएगी। भारतीय मूल के नागरिक यहां सबसे अधिक पढ़े लिखे माने जाते हैं क्योंकि भारतीय मूल के 58 प्रतिशत नागरिक उच्च अध्ययन (ग्रैजूएट एवं अधिक) प्राप्त हैं जबकि आस्ट्रेलिया मूल के 22 प्रतिशत नागरिक ही उच्च अध्ययन प्राप्त हैं। कार्य करने योग्य कुल भारतीय मूल के नागरिकों में से 88 प्रतिशत को रोजगार प्राप्त है, इनमें से 61 प्रतिशत को पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त है एवं 27 प्रतिशत को अंशकालिक रोजगार प्राप्त है। भारतीय मूल के नागरिकों की औसत आय भी सबसे अधिक है।

इसी प्रकार वर्ष 2011 के उपलब्ध आकड़ों के अनुसार, ब्रिटेन में भारतीय मूल के 14.5 लाख नागरिक निवासरत थे, जो ब्रिटेन की कुल जनसंख्या का 2.3 प्रतिशत हिस्सा हैं। भारतीय मूल के नागरिकों में 25 प्रतिशत भारतीय ब्रिटेन के अग्रणी विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और वे उच्च कौशल प्राप्त क्षेत्रों यथा मेडिसिन, कानून, फार्मसी एवं लेखा आदि में रोजगार प्राप्त करते हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल के नागरिकों में बेरोजगारी की दर अन्य देशों के मूल नागरिकों की तुलना में बहुत कम है। भारतीय मूल के नागरिकों की बहुत बड़ी संख्या डॉक्टर, इंजिनियर, सालिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटंट, शिक्षक एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तो ब्रिटेन में बाहरी देशों से आने वाले उच्च शिक्षा प्राप्त कुल इंजिनियरों में 60 प्रतिशत से अधिक इंजिनियर भारतीय मूल के रहते हैं। ब्रिटेन के कुल स्वास्थ्य सेवाओं (रीटेल सहित) के क्षेत्र में तो 40 प्रतिशत भारतीय ही व्यवसायी के रूप में कार्य करते हैं।

वर्ष 2016 में कनाडा में 14 लाख भारतीय मूल के नागरिक निवास कर रहे थे, जो कनाडा की कुल जनसंख्या का 4 प्रतिशत हिस्सा थे। इनमें से 45 प्रतिशत भारतीय उच्च शिक्षा प्राप्त (यूनिवर्सिटी से डिग्री धारक) थे जबकि कनाडा की कुल जनसंख्या में 26 प्रतिशत नागरिक ही उच्च शिक्षा प्राप्त थे। भारतीय मूल की कुल जनसंख्या में से 75 प्रतिशत उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय उच्च तकनीकी क्षेत्रों, उच्च कौशल प्राप्त क्षेत्रों, व्यवसायी एवं उपक्रमी के रूप में कनाडा में कार्य कर रहे थे। इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारतीय मूल के नागरिक बहुत अच्छी संख्या में कार्यरत हैं।

सिंगापुर में भारतीय मूल के नागरिकों की कुल 7 लाख की जनसंख्या चीन एवं मलाया के बाद तीसरे स्थान पर है और यह सिंगापुर की कुल जनसंख्या का 9 प्रतिशत है। सिंगापुर में निवास कर रहे अन्य देशों के नागरिकों की कुल जनसंख्या में 21 प्रतिशत भारतीय मूल के नागरिक हैं। सिंगापुर में भारतीय मूल के कुल नागरिकों में से 60 प्रतिशत नागरिक वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण एवं समुद्रीय गतिविधियों, छोटे एवं मध्यम व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में कार्य करते हैं।

अमेरिका में एशियाई मूल के नागरिकों की संख्या पिछले 3 दशकों के दौरान तिगुनी से अधिक हो गई है और एशियाई मूल के नागरिकों के बीच भारतीय मूल के नागरिकों की जनसंख्या सबसे अधिक तेज गति से बढ़ रही है। आज 40 लाख भारतीय मूल के नागरिक अमेरिका में निवास कर रहे हैं जो अमेरिका की कुल आबादी का 1.2 प्रतिशत है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीय मूल के नागरिकों का योगदान अतुलनीय है क्योंकि भारतीय मूल के नागरिकों की संख्या विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (इंजिनियर), स्वास्थ्य सेवा (डॉक्टर) एवं साइंस (साइंटिस्ट) जैसे क्षेत्रों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। एशियाई मूल के नागरिकों के बीच में भारतीय मूल के नागरिकों का वेतन सबसे अधिक 130,000 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष है। जो अमेरिका में निवास कर रहे समस्त नागरिकों के औसत वेतन 70,000 अमेरिकी डॉलर की तुलना में लगभग दुगना है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक एशियाई मूल के नागरिकों के बीच, भारतीय मूल के नागरिकों की संख्या चीन के नागरिकों की संख्या को पीछे छोड़कर पहले नम्बर पर आ जाएगी।

उच्च कौशल प्राप्त भारतीय मूल के नागरिकों की संख्या का विकसित देशों में तेजी से बढ़ना यह भी संकेत देता है कि इन देशों के नागरिकों का भारतीय संस्कृति की ओर रुझान बढ़ रहा है क्योंकि इसी कारण के चलते वे भारतीय मूल के नागरिकों को लगातार उच्च पदों पर आसीन करते जा रहे हैं एवं भारतीय मूल के नागरिकों पर इन देशों के नागरिकों का अपार विश्वास निर्मित हो गया है। साथ ही, इन देशों के नागरिकों को अब यह आभास भी होने लगा है कि इन विकसित देशों में विशेष रूप से आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में निर्मित हुई कई समस्याओं का हल अब केवल भारतीय मूल के नागरिक ही निकाल सकते हैं, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति के इतिहास में इस प्रकार की समस्याओं का कहीं पर भी जिक्र ही नहीं पाया जाता है।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक पद से सेवा निवृत्त हैं)

ISSN No. 2581-3528

भारत के बनें और भारत को बनायें

तपन कुमार

विषय हमारे सामने एक प्रश्न के रूप में उपस्थित है, प्रश्न से एक नए प्रश्न का निर्माण होना स्वाभाविक ही है। इस विषय को समझते हुए कुछ प्रश्न आते हैं कि यदि भारत का बनना है तो हम भारत के कैसे बनें? हमें भारत का बनना है तो वह कौन सिखाएगा कि हम भारत के कैसे बनें? कहाँ से हम सीखें कि भारत के कैसे बनें? और जब भारत को बनाना है तो कैसे बनाना है? या क्या बनाना है वो कौन बतायेगा?

क्या भारत पहले से नहीं है जो उसको बनाने की आवश्यकता आन पड़ी? हमें जिस भारत का बनना है यदि वह पहले से ही है तो फिर हमें कौन–सा भारत बनाना है? उसे कैसे बनाया जाए? क्या गारे–मिट्टी से कोई भवन निर्माण करना है या किसी विशेष प्रकार की कालोनी बनानी है? कुछ प्रश्नों का सीधा उत्तर भी कठिन लगता है और कुछ टेढ़े प्रश्नों का उत्तर खोजने में आनंद आता है इसके पीछे मनुष्य का स्वाभाविक मनोविज्ञान है। प्रश्न एक अभिरुचि है और उत्तर दृष्टिकोण। दृष्टिकोण से आशय है कि हम प्रश्न का उत्तर किस सन्दर्भ में खोज रहे है। यदि उत्तर जिज्ञासावश खोज रहे हैं तो वह उत्तर कल्याणकारी होगा अन्यथा परिणाम क्या निकलेगा? सत्यता कितनी होगी? ईश्वर ही जाने। इसलिए हम अपने प्रश्नों का उत्तर जिज्ञासावश ही खोजेंगे।

अपने प्रश्न की खोज में चलने से पहले रामधारी सिंह दिनकर जी के उस भाव को याद करते है जहाँ वो "आधुनिकता और भारत–धर्म " के विषय में कहते है कि 'प्रत्येक समय में समाज के सामने हमेशा से ये चुनौती रही है कि वो किस समाज को आदर्श माने?, वो किस समाज को आधुनिक मानकर आगे बढे? क्या उसके सामने किसी आदर्श समाज का कोई मापदंड है या वह सिर्फ एक दिवा–स्वप्न" है। तो उसका उत्तर उन्हें 'भारतीय समाज' में मिलता है।

यह हम सभी स्मरण रखें जब परिवर्तन के लिए समय कुलांचे भरता है तो भारत–भूमि के ऋषि "भारतीय युवाओं" का आहवान करते है। ये दो शब्द स्मरण रहें भारतीय–समाज, भारतीय–युवा। मैने स्मरण रखने का आग्रह इसलिए किया है कि हम अपने विषय का "समग्र चिंतन की धारा में प्रवाहमान" होकर अनुसन्धान करेंगे।

सामान्यतः किसी भी विषय को समझने के दो माध्यम है–

विधयानुगत अर्थात् सैद्धांतिक, बाह्य, वस्तुपरक या ध्योरेटिकल दूसरा व्यवहारिक अर्थात प्रायोगिक, आंतरिक, आत्मनिष्ठ या प्रैक्टिकल अध्ययन या अनुभव प्राप्ति के दो

मार्ग सर्वथा प्रचलित है थ्योरी और प्रैक्टिकल। अपना विषय समझने में जितना सरल है, इसका पालन करना उससे भी अधिक सरल है। पानी का ठहर जाना सरल है या उसका बह जाना? पानी रोकने के लिए प्रयास करना पड़ता है किन्तु बह जाना उसकी प्रवत्ति है। उसी प्रकार भारत को विषयानुगत अर्थात् थ्योरी को समझने में प्रयास करना पड़ेगा किन्तु यदि हम भारत के व्यावहारिक अर्थात् प्रैक्टिकल रूप में जाएं तो मेरा अनुभव कहता है कि हमें कोई प्रयास ही नही करना है।

जब हम भारत को विषय मानकर समझेंगे तब भारत को शास्त्रार्थ करते हुए 'तर्क' के आधार पर जानेगें और जब भारत को जीवंत मानकर व्यवहार के माध्यम से समझेंगे तो "अनुभूति" के आधार पर जानेगें। तर्क में हम अलग–अलग घटनाओं को आधार मानकर भारत की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे और अनुभूति में भारत को अपने जीवन से आत्मसात करेंगे।

समग्र चिंतन की इस धारा में इसके दोनों पहलुओं "वर्तमान और इतिहास" पर भी विचार करेंगे। जो पल बीत गया इतिहास हो गया। वर्तमान की यात्रा तक हम इतिहास भी देखेंगे कि किस मार्ग से होते हुए हम यहां पहुचें? वर्तमान की बात करते हुए "आधुनिकता तथा जीवन की आवश्यकताओं" की बात भी करेंगे और इतिहास की बात करते हुए "मूल्यों और संस्कारो" की बात भी करेंगे।

इतिहास में जहाँ नैतिकता, सौन्दर्यबोध, आध्यात्म, ज्ञान और संस्कारों का बाहुल्य है वही वर्तमान में राजनीति, रोजगार, सत्ता–शासन, सुविधा, आधुनिकता और परिभाषाहीन विद्रोह की चर्चा का ही आवरण है। इतिहास में जहां भारत का जीवन समग्रता की और चलता है। वहीं वर्तमान भारत आधुनिकता के नाम पर विद्रोही परिवर्तन की ओर चलता है। जीवन की रफ्तार बढ़ चुकी है। हमें स्वयं की अनुकूलता तत्काल चाहिए। वर्तमान भारत अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, विज्ञान, तकनीक, रोजगार, सैन्य व्यवस्था, अर्न्राष्ट्रीय सम्बंध और व्यापार की बात करता है। आर्टिकल 370 की चर्चा करता है वो परम्पराओं और रीति–रिवाजों में स्थापित मान्यताओं की सीमाओं को खिसकाना चाहता है।

समय और समाज अपनी गति से चल रहा है लेकिन लोगों का सामूहिक रूप से जीवन के लक्ष्यों के प्रति दृष्टिकोण समाज में आचरण का निर्माण करता है जो देश का तात्कालिक स्वरूप निर्धारित करता है। बहुधा इसी आचरण के कारण से संधिकाल का निर्माण होता है जिस कारण समाज का स्वरूप बदलता हुआ दिखाई देता है। अब यही चुनौती हमारे सामने आती है कि किस भारत के बनें? और कौन–सा भारत बनाएं? इतिहास में गए तो आधुनिकता की दौड़ में अछूत हो जायेंगे, पिछड़े कहलायेंगे, पोंगा–पंथी और ना जाने कौन–कौन से आभूषण पहना दिए जायेंगे और वर्तमान हिसाब से चले तो औद्योगीकरण का पर्यावरण पर आघात, दूषित मानसिकता के कारण बढ़ते अपराध, उपभोगतावाद का कुटिल–चक्र, रोग हमारे और आने वाली पीढ़ी के लिए अभिशाप बन रहे हैं? यदि इन सब

ISSN No. 2581-3528

विषयों पर हम व्यावहारिक या आत्मनिष्ठ रूप से चले तो विज्ञान–विरोधी और अन्धविश्वासी कहा जाएगा और यदि विषयानुगत या वस्तुपरक रूप से चले तो समुद्र की किनारे पर बैठ तैराकी सीखने जैसी कल्पना मात्र ही होगी। हम इन्हीं उलझनों से बाहर निकलेंगे।

पहले हम भारत को विषय मानकर समझते हैं बौद्धिक रूप से विषयानुगत तरीके से– जैसे अनाज का उत्पादन करने के लिए बीज, हवा, पानी, खाद और सूर्य के प्रकाश जैसे कई अन्य तत्वों के 'उपयुक्त संयोग' की आवश्यकता होती है उसी प्रकार भारत को विषयानुगत तरीके से समझने के लिए कुछ संयोग समझने होंगे। जब इन संयोग को समझ लेंगे तब भारत को जान भी लेंगे और जानने के बाद भारत के बन भी जाएंगे। लेकिन हमारे बनने के बाद हम भारत को कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमें समझना होगा कि जब यातायात के नियमों का ज्ञान होने के बाद भी लोग गलत दिशा में वाहन चलाते है, तो वो जानते है कि इस वजह से जाम लगेगा, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो जाएगी, चालान कट सकता है फिर भी ये सिलसिला रुकता नहीं औरकुछ वजह से सभी दुख पाते है। वैसे ही जब तक भारत के बन जाने के बाद हम भारत को यदि अपने जीवन में नहीं जिएंगे, उसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो भारत को नहीं बना पाएंगे और भारत की उपयोगिता को समझे बिना उसे बचा भी नहीं पाएंगे। यदि हमने भारत की महत्ता अपने जीवन में समझ ली तो हमें किसी प्रकार का द्वंध नहीं रहेगा।

सभी सम्भव प्रश्न भारत के विषय में पूछे जो सकते हैं कि भारत क्या, कब, कैसे, किसका, कौन कब–से... आखिर किसी भी विषय को समझने का प्राथमिक माध्यम है प्रश्न पूछना। जब प्रश्न है तो उसका उत्तर भी खोजा जायेगा जहां उत्तर होगा तो हमें तर्क को समझने और समझाने की क्षमता भी उत्पन्न करनी पड़ेगी क्योंकि तर्क समझने के बाद भी विरोधी के मनोस्थिति बदलना कठिन ही होता है।

इस तार्किक वार्तालाप को विषयानुगत तरीके से आगे बढ़ाते है– जो भारत शब्द है इसके अलग–अलग अर्थ हमें पता है, जो प्रकाश की ओर रत है वो भारत है या शकुन्तला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि उसने बचपन में ही शेरों के दांत गिन लिए थे। इसीलिए पड़ा। हम सबने ये कहानी सुनी है। भौगोलिक स्वरूप की बात करें तो विष्णु पुराण कहता है उत्तरं यत समुद्रस्य, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं। वर्ष तद भारतं, नाम भारती यत्र संतति। अर्थात् जो समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पर्वतों हिमालय के दक्षिण में स्थित है उसका नाम भारत है और यहां के रहने वाले लोग उसकी संताने है। अरबों ने सिंधु नदी के नाम पर हिंदी भूमि या हिन्दुस्तान कहा किन्तु बृहस्पति आगम कहता है – हिमालयं समारम्भ्य यावद् इन्दु सरोवरम। तं देव निर्मित देशं, हिन्दुस्थानं प्रचक्षते। अर्थात् हिमालय से लेकर इन्दु (हिन्द) महासागर तक देव पुरुषों द्वारा निर्मित इस भूगोल को हिन्दुस्तान कहते हैं। सिंधु को अंग्रेजी में इंडस कहते हैं। जिसके कारण भारत को अग्रेजों ने इण्डिया कहा। यह भी कहा जाता है कि यह आर्यों की अर्थात् श्रेष्ठ लोगों की भूमि है इसलिए इसे आर्यावर्त भी कहा गया लेकिन इन सभी में भारत नाम सबसे अधिक प्रचलित हुआ लेकिन जिस देश या भूभाग पर राजा भरत के माता–पिता शकुन्तला और दुष्यंत रहा करते होंगे उस देश का नाम क्या था? नाम को लेकर ये तर्क आता है।

अगर हम इस प्रश्न में ज्यादा पीछे नहीं जाते तो आज से 2300 वर्ष पूर्व मौर्य, चोल, पंडया और सत्यपुत्रों साम्राज्य कहां हुआ करते थे ? क्या वो सिर्फ साम्राज्य थे? क्या वो भारत नहीं था? जो शक और हूण जैसे बर्बर लोग जिस भूमि पर आकर यही समा गए वो किसके हुए? वो कहां विलीन हो गए?

आधुनिक इतिहास में हम पढ़ते है कि सन् 1947 से पहले सौराष्ठ, मराठवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर, मालवा जैसी 500 से अधिक अलग–अलग रियासते हुआ करती थी जिनका 1947 में भारत गणराज्य के रूप में एकीकरण हुआ। जैसा कि कुछ तथाकथित पश्चिम प्रभावित इतिहासकार कहते है कि भारत का जन्म ही 1947 में हुआ। जिस मानचित्र को हम देखते है क्या वही हमारा भारत है ? किसी बच्चे से पूछो कि भारत क्या है तो सामान्यतः उसका उत्तर होगा कि भारत एक देश का नाम है और एक कागज पर नक्शा बनाकर दिखा देगा कि देखो, ये रहा भारत लेकिन जो आज भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से परशुराम कुंड तक जो सीमाएं है वो आज से 2300 वर्ष पूर्व वो अफगानिस्तान से श्रीलंका और पश्चिम में फारस की खाड़ी से लेकर कम्बोडिया तक थी तो फिर वो क्या था? यदि वो भी भारत था तो आज ये भारत का ये भौगोलिक स्वरूप कैसे हो गया? जिसे हम मृत्युंजय भारत कहते है क्या हम उस भौगोलिक स्वरूप को मृत्युंजय भारत कहते हैं जिसका स्वरूप यदा–कदा बदलता रहा? जिसे विश्वगुरु भारत कहा गया वो क्यों कहा गया? और आखिर ये विश्वगुरु का स्थान किसने दिया और किसने वो स्थान भारत से ले लिया या हमने स्वयं ही खो दिया? आखिर किस भारत की सीमाएं सिकुड़ गयी और किस भारत का विभाजन हुआ और कौन सा भारत खो गया जिसका हमें बनना है और जिसे हम बनाने की कोशिश में है? क्य ये सब एक निश्चित भौगोलिक स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास है? यहां एक प्रश्न के ऊपर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि वो क्या कारण थे जिन वजहों से हम आज यह कहते हैं तब के भारत का विस्तार कितना बृहद था और आज उसकी सीमाएं सिकुड़ गयी? आखिर हम ऐसा क्यों कहते है कि बाहरी आक्रमणों ने भारत की सीमाओं को संकुचित कर दिया, भारत का विभाजन हो गया। क्या यह सच है? क्या निश्चित भौगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ भूभाग भारत है जिसे हमे फिर से प्राप्त करना और इसी भूभाग का बनना है?

भारत को तर्क रूप में जानने–समझने के लिए ये सभी प्रश्न हमारे सामने आते है और आते रहेंगे और इनका उत्तर हमें खोजना है और यह खोज आवश्यक है।

जिस भारत–भूमि पर अवतरति यजुर्देव ने कहा कि श्येना भूत्वापरां पत यज्ञमानस्य गहवान, गच्छ तन्नो संस्कृतम्– अर्थात् देशांतर में जाकर ऐश्वर्य युक्त बनो और दूसरों को ऐश्वर्य युक्त बनाओ, जिस भारत में सम्पूर्ण पृथ्वी को कुटुंब बसुधैव कुटुम्बकम् की संकल्पना दी, जिसने पूरे विश्व को श्रेष्ठ क्रन्वंतो विश्वमार्यम का सिद्धांत दिया जो भूमि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उद्घोष करती है उस भारत भूमि को किसी भौगोलिक सीमा में बंधना कितना उचित होगा यह निर्णय वर्तमान पीढ़ी को करना है ?

जितने भी प्रश्न हमारे सामने आये और जितने भी भावो, मूल्यों और संस्कारों को हमने अपने बड़ो से या परिवारों में सीखा है वो सब किसी सीमाओं में बंधे हुए भारत के नहीं हो सकते यदि हम भारत को सीमाओं में बांध देंगे तो तर्क से भी म भारत को ना जान पायेंगे ना समझ पायेंगे।

जितने भी प्रश्न हमारे मन–मस्तिष्क में आते है उनका उत्तर इस भौगोलिक स्वरूप के तर्क–वितर्क से खोजना असंभव सा प्रतीत

ISSN No. 2581-3528

होता है। यदि तर्क या प्रश्न के आधार पर समझना हो तो कुछ घटनाओं को देखना होगा कि जब एक आचार्य केरल से चलकर काशी होते हुए बद्रीनाथ पहुंचकर शंकराचार्य पीठ की स्थापना करते है और उसे हर कोई स्वीकार करता है, जब एक चाणक्य सेवक बालक चन्द्रगुप्त को चक्रवर्ती घोषित करता है, जब एक मर्यादा–पुरुषोत्तम राम शबरी की कुटिया तक पहुंचते है, जब मां जानकी बिना बीजा लिए अयोध्या आकार हम सबकी जननी कहलाती है, जब एक सुदामा कड़वे चनों की वजह से बाल–स्वरूप योगेश्वर कृष्ण से झूठ बोलता है, जब भील सरदार एक मेवाड़ी महाराणा की रोटी के लिए अपनी बेटी का बलिदान देता है, जब जीजा मां इस सम्पूर्ण धरा के अपमान का बदला लेने के लिए भवानी से पुत्र रत्न का वरदान मांगती है, जो वीरांगना हाडा रानी इस भूमि की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में गए हुए अपने पत्नी के प्रति आसक्त पति को अपना शीश काटकर भेजती है, जो तंजावुर आज भी काशी विश्वनाथ का श्रृंगार पिछले हजारों वर्ष से भेजता है, जो कुम्भ इस करोड़ों की जनसंख्या को बिना किसी प्रश्न के समाहित कर लेता है। क्या उस भारत को तर्क के आधार पर या भूमि सीमांकन करके जाना या समझा जा सकता है ? कैसे एक राजा शिवी एक बाज से कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मास काट–काट कर तौलते है, कैसे एक गुरु गोविन्द सिंह उस सवा लाख आताताईयों से अपने उभरते हुए सुकुमारों को लड़ने भेज देते हैं ?

अभी तक यह तो हम समझ ही चुके होंगे कि ये जमीन के टुकड़े का विषय नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हमें भारत को 'समग्र' रूप से समझना है।

तो अब हम परिभाषा पर आते है। हम भारत को राष्ट्र कहते है, हम भारत को जीवंत कहते है अर्थात् भारत एक नाम है जो राष्ट्र है। मूर्धन्य लेखक बाबू श्याम सुंदर दास कहते है कि किसी राष्ट्र के निर्माण के तीन मुख्य घटक होते है।

1. भूमि 2. लोग 3. संस्कृति

इन तीनों के 'व्यवस्थित समुच्चय' से राष्ट्र का निर्माण होता है। फिर आप राष्ट्र को जो चाहे नाम दे दीजिये। इन तीनों में 2 भौतिक हैं दिखाई देते है, 1. सूक्ष्म है दिखाई नहीं देता, अनुभव होता है। इसीजिए मैंने कहा था कि किसी भी विषय को समझने के दो माध्यम हैं अभी हम उन सभी प्रश्नों का विचार करें जो मैंने आपके सामने रखे थे। उनका उत्तर ना भूमि में है ना लोगों में है, उनका उत्तर संस्कृति में है। ध्यान रहे रीति–रिवाज, बोलचाल, पहनावा, रंग–रूप, भाषा–बोली, पूजा–पद्धति इत्यादि ये सब देशकाल और परिस्थिति के अनुसार सभ्यता का निर्माण करती है जो समय–समय पर बदलती रहती है किन्तु संस्कृति और अधिक सूक्ष्म है। संस्कृति इतनी सूक्ष्म है जैसे ईंधन में अग्नि। और ईंधन बनने में कितना वक्त लगता है हजारों–लाखों साल। वैसे ही हजारों–लाखों साल की सभ्यताओं के सर्वेश्रेष्ठ आचरण से संस्कृति का निर्माण होता है। अब यदि भारत को सांस्कृतिक रूप से समझना है तो कठोपनिषद के एक सूक्त को ध्यान में रखकर राम के आचरण को समझना होगा और राम आचरण समझने के लिए हमें स्वयं राम बनना होगा कठोपनिषद कहता है–

यस्य यान्यस्माकरम सुचारितानी, तानि सेव्तानी, नो इतरानी – जिसमें जहां से जो अच्छा है स्वीकार कर लो, सुरक्षित कर लो, और उस पर अहंकार मत करो। देखा, एक सूक्त में सारा द्वंध समाप्त। जितना तर्क लगाकर समझना है, समझिये। लेकिन उपनिषद कहता है ब्रह्मावैत ब्रह्म भवति जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म हो गया फिर वो हमें बताने के लिए वापस नहीं आएगा कि ब्रहम का स्वरूप कैसा है? राम को जानना है तो राम के आचरण का पालन करो राम बन जाओगे राम को पहचान जाओगे और राम को हम क्यों जानते है, राम को हम उसके गुणों के कारण जानते है अर्थात् हमें गुणों की साधना करनी पड़ेगी इसलिए तर्क या सापेक्ष रूप से भारत को जानने के लिए भारत का बनना पड़ेगा और भारत का बनने के लिए स्वयं भारत का हो जाना पड़ेगा और उन गुणों को स्वयं में धारण करना पड़ेगा। गुणों को धारण करने हेतु हमें उस आधार का निर्माण करना पड़ेगा जहां उस भव्यता का निर्माण करेंगे। उपनिषद कहता है–

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। स विभद्जती मां सर्वभावेन भारत।। अर्थात् बुद्धिमान विवेकमान विवेकवानो का सम्मान करने वाला भारत।

जब हम गुणों की साधना कर लेंगे, हम भारत के बन जायेंगे हम स्वयं भारत के हो जायेंगे, यह हमारा भारत को जानकर भारत के बनने और भारत को बनाने का सापेक्ष माध्यम होगा। यह हमने भारत के वस्तुपरक ढंग से तर्क के आधार पर इतिहास के दर्पण में समझने का प्रयास किया है। इसी सापेक्ष माध्यम में पर्यावरण, जल–जंगल और उन प्राकृतिक उपहारों के साथ समन्वय बैठाकर आगे बढ़ना ही सर्वगुण संपन्न भाव से आगे बढ़ना है। ये पर्यावरण भारत भूमि का श्रंगार है, नदिया इसकी जीवनदायनी है। जब हम भारत को तर्क के आधार पर समझते है तो हमारे आसपास का पर्यावरण हमें उन महान पुरुषों के आचरण का अनुसरण करने में सहायक सिद्ध होता है।

जब हम भारत को वस्तुपरक ढंग से तर्क के आधार पर वर्तमान में समझने का प्रयास करते हैं तो हम कुछ घटनाएं पाते हैं कि कैसे राह गुजरते हुआ एक राहगीर आधी रात के अंधेरे में दरवाजा खटखटा कर पीने का पानी मांगता है तो गृह स्वामी अपनी गृहस्वामिनी से कहता है कि कुछ खाने का हो तो जल्दी से बना दे। कही रात में खाली पानी पीने से पेट ना दुखने लगे–ये संस्मरण स्वयं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी लिखते है। ये जो भाव है इसे किसी तराजू या मीटर पर नहीं नापा जा सकता, पश्चिम को ये समझ नहीं आयेगा कि इस काम से उसे कितने पैसे मिले ?या बिना पैसे के ये काम उसने कैसे किया? सड़क पर 2–2 रुपये में केले बेचने वाली महिला 10 रुपये में 6 केले देने से मना कर देती है लेकिन एक भूखे बच्चे को देखकर 2 केले उसे खाने को दे देती है और जब उसका ग्राहक उससे पूछता है कि वो तेरा रिश्तेदार था क्या? जो फ्री में दे दिए तो महिला कहती है "भूखा था दे दिए, इसमें क्या सोचना" आईआईएम के प्रोफेसर को भी यह घटना समझ नहीं आती, उसे समझ नहीं आता कि अगर ऐसा होगा तो ये अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? अब आप इसकी क्या परिभाषा देंगे? ये परिभाषा बस भाव में समझी जा सकती है। लेकिन जब मार्गरेट थ्रेचेर भगिनी निवेदिता बनकर आती है तो वे भाव सिर्फ भारत का नहीं रह जाता ये भाव हर जगह कण–कण में विद्यमान है और इसीलिए ये भारत सीमाओं में ना बस कर लोगों के हृदय में बसता है। हम इतिहास की बात करें तो वर्तमान की बात करें, तर्क एक आधार पर हमें भारत एक–सा ही दिखाई देता है। जब हम कुछ कटु–घटनाओं का उदाहरण देखते है तो उन घटनाओं के प्रतिकार में भी भारत के मौलिक सिद्धांत दिखाई देते हैं।

(लेखक पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अभिलेखागार प्रमुख हैं)

ISSN No. 2581-3528

कब रुकेगा सनातन का अपमान

प्राचीन समय से ही हमारे देश में सनातन धर्म का अपमान होता आ रहा हैं। हिन्दू धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, हिन्दू धार्मिक साहित्य स्थलों को जलाया गया, धार्मिक रूप से प्रतीक रामसेतु को तोड़ने की कोशिश की गई, राम के देश में राम को काल्पनिक बताया जाता है, दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण धर्म को आतंकी बताया जाता है, धर्म का प्रचार करने वाले समाज सुधारक सन्तों को निशाना बनाया जाता है, जातिगत भेदभाव करके हिन्दू समाज को बांटने की कोशिश निरन्तर हो रही है। इतने सबके बाद अब धार्मिक ग्रन्थों को निशाना बनाया जाने लगा है। अभी बसपा व भाजपा को छोड़कर सपा में आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्या ने तो सनातन के अपमान करने की हद ही पार कर दी। उन्होंने हिन्दू ही नही विश्व को मार्गदर्शन देने वाली श्री रामचरितमानस पर ही अपमान जनक टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस को प्रतिबंधित किया जाए। उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई बोलकर महिलाओं के अपमान करने की बात कही है। मौर्य ने इस धार्मिक पुस्तक को जब्त करने को भी कहा है। जिस रामचरितमानस पर ऐसे आरोप लगाकर प्रतिबन्धित करने की बात स्वामी प्रसाद मौर्या कर रहे हैं उन्होंने इसको शायद कभी पढ़ा ही नहीं। अगर मौर्या भगवान राम के जीवन पर आधारित इस ग्रन्थ को पढ़ लेते तो शायद ऐसे शब्दों का उपयोग ही नही करते। उनके अलावा बिहार के एक नेता ने भी रामचरितमानस पर टिप्पणी की है। रामचरितमानस के किसी भी किरदार को आप पढ़ेंगे तो उससे कोई न कोई कोई सीख जरूर मिलेगी। जिस चौपाई को बोलकर स्वामी प्रसाद मौर्या इस ग्रन्थ को निशाना बना रहे हैं, उसके वास्तविक अर्थ को भी उन्हें समझना चाहिये। ताड़ना शब्द अवधी शब्द है। जिसका अर्थ पहचानना व ध्यान रखना है। क्योंकि ढोल, अशिक्षित, शुद्र, पशु व नारी इस सभी पर ध्यान देना चाहिए। ढोल का अगर ध्यान नही देंगे तो उसकी आवाज बदल जाएगी, अशिक्षित को अगर ध्यान नही देंगे तो वो कभी शिक्षित नही होगा, शुद्र यानि सेवा करने वाले को ध्यान नही दोगे तो वो आगे नही बढ़ेगा, पशु पर अगर ध्यान नही दोगे तो वो हिंसक हो सकता है, और अगर महिला के सम्मान का ध्यान नही देंगे तो उसको समाज में प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी। रामचरितमानस में पशु, शुद्र व महिला के उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले लोगों को भगवान राम द्वारा किये गए कार्यों को देखने व समझने की आवश्यकता है। भगवान राम ने वनवास के समय सभी पशु पक्षियों को एक करके लंका पर विजय प्राप्त की, जटायु का अपने पूर्वजों की भांति अंतिम संस्कार किया, वनवासी निषाद राज को अपना मित्र बताकर उनको गले से लगाया, केवट को सम्मान दिया, महिला के सम्मान के लिये अहिल्या को पत्थर से नारी बनाकर श्राप मुक्त किया, स्वयं को अछूत मानने वाली शबरी के झूठे बेर खाकर उनको बड़ा सम्मान दिया। इसके अलावा अपनी वीरता से जंगल मे रहने वाले सभी वनवासियों की राक्षसों से रक्षा की। लगातर सनातन का अपमान कोई नामसमझता के कारण नही है बल्कि ये सब सुनियोजित योजना का हिस्सा है। स्वामी प्रसाद जैसे लोग जंहा हिन्दू धर्म का अपमान कर रहे हैं वंही इस्लाम को मानने वाले कुछ बुद्धिजीवी भी इनके कथन पर आपत्ति कर रहे हैं। लखनऊ टीले वाली मस्जिद के मुतवल्ली मौलाना वासिफ हसन, अयोध्या की बक्शी शहीद मस्जिद के इमाम सेराज अहमद खान, व मुस्लिम धर्मगुरु लियाकत खान सहित कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने स्वामी प्रसाद से अपने वक्तव्य पर माफी मांगने की मांग की है। सनातन परंपरा को मानने वाले सभी लोगों को अब ऐसे अपमान के लिये स्वयं आवाज बनना पड़ेगा नही तो सदियों से सनातन के अपमान करने की इस परम्परा में वृद्धि होती रहेगी। इसकी रोकथाम के लिए ऐसे लोगों को उनकी भाषा में ही जबाव देने की आवश्यकता है।

(ललित शंकर, गाजियाबाद)

ISSN No. 2581-3528

मीडिया सुर्खियां (20 दिसम्बर, 2022 - 20 जनवरी, 2023)

21 दिसम्बर : लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा पर तैनात की गई 'गरुड' स्पेशल फोर्स।

22 दिसम्बर : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से बीजेपी नेताओं को लेकर विवादित बयान दिया है। खड़गे ने कहा कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेसी नेताओं ने जान दी लेकिन भाजपा से एक कुत्ता तक नहीं मरा। इससे पहले भी वे बीजेपी के वरिष्ठ नेता की तुलना चूहे से कर चुके हैं। लेकिन सोचने की बात है कि अक्सर गुस्से में हम विरोधी की तुलना कुत्ते–बिल्लियों से करने लगते हैं!

23 दिसम्बर : '80 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त अनाज' केंद्र सरकार का बड़ा फैसला।

24 दिसम्बर : दिल्ली के कुतुबमीनार परिसर पर मालिकाना हक जताते हुए पक्षकार बनाने की मांग को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका साकेत कोर्ट ने खारिज कर दी है। कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने यह याचिका दाखिल कर कुतुबमीनार परिसर पर मालिकाना हक का दावा किया था।

25 दिसम्बर : मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया है।

26 दिसम्बर : साल 2022 में झारखण्ड में लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ मामलों में तो लड़कियों को जान भी गंवानी पड़ी है। हाल ये है कि सवाल अब ये उठने लगा कि झारखण्ड कहीं लव जिहाद का नया केन्द्र तो नहीं बन गया है? विपक्ष इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है और सरकार इन घटनाओं को एक सामान्य घटना ही बता रही है।

27 दिसम्बर : चीन में कोरोना विस्फोट के बाद, देश में कोरोना की नई लहर के खतरे को देखते हुए आज सभी सरकारी अस्पतालों मॉकड्रिल होगी।

28 दिसम्बर : यूपी सरकार ने निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर पांच सदस्यीय कमिशन नियुक्त किया।

29 दिसम्बर : भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सुखोई–30 एमकेआई से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यह मिसाइल एंटी–शिप वैरिएंट थी।

30 दिसम्बर : प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की माँ हीराबा के निधन पर दुनिया के कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया।

31 दिसम्बर : अज्ञात शख्स ने नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी।

01 जनवरी : जम्मू–कश्मीर में साल 2022 में 98 एनकाउण्टर, कुल 186 आतंकी मारे गए। DGP दिलबाग सिंह।

02 जनवरी : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2016 में 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने के केन्द्र सरकार के फैसले को 4:1 के बहुमत के साथ सही ठहराया।

04 जनवरी : भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान को आतंकवाद का केन्द्र बिन्दु बताया था।

05 जनवरी : झारखण्ड में सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने के फैसले का जैन समाज देशभर में विरोध कर रहा है। इस बीच केन्द्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पर्यटन और ईको टूरिज्म पर तत्काल रोक लगा दी है।

06 जनवरी : Videocon को लोन मामले में सीबीआई ने दिसम्बर 2022 में ICICI बैंक की पूर्व CEO चन्दा कोचर को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही है।

07 जनवरी : पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला देश का पहला राज्य बना केरल।

08 जनवरी : ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी मामले में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल गिरफ्तार।

09 जनवरी : इंदौर में 08–10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया।

10 जनवरी : उत्तराखण्ड का एक पूरा कस्बा जोशीमठ धंस रहा है।

11 जनवरी : LAC पर घातक हथियार तैनात करने के लिए सरकार ने 4276 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

12 जनवरी : कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री मोदी ने 26वें 'राष्ट्रीय युवा महोत्सव' का किया आगाज। 'विकसित युवा–विकसित भारत' थीम पर 16 जनवरी तक चलेंगे कार्यक्रम।

13 जनवरी : दुनिया के सबसे लम्बे जलमार्ग पर चलने वाली एमवी गंगा विलास क्रूज यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

14 जनवरी : जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का 12 जनवरी को 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, आज पैतृक गाँव में अन्तिम संस्कार किया गया।

15 जनवरी: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिकन्दराबाद– विशाखापत्तनम वंदेभारत एक्सप्रेस को झण्डी दिखाकर रवाना किया।

16 जनवरी : मध्य प्रदेश सरकार 1949 में नष्ट हुए शारदा पीठ मन्दिर का फिर से निर्माण करवाने जा रही है। POK से तकरीबन 10 किमी दूर स्थित यह मन्दिर शारदा पीठ देवी के शक्तिपीठों में से एक है। हालांकि, प्रचीन समय में पाकिस्तान द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था।

17 जनवरी : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्बोधित किया। पीएम ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी और कहा– 'मुस्लिम समाज' के बारे में गलत बयानबाजी ना करें।

18 जनवरी : त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नगालैंड में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव, 2 मार्च को नतीजे।

19 जनवरी : राजधानी में गणतंत्र दिवस से पहले खालिस्तानी संगठन सक्रिय हुए– दिल्ली पुलिस।

20 जनवरी : अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 2.5 बिलियन डॉलर के रक्षा पैकेज की घोषणा की।

संयोजन : प्रतीक खरे

पत्रिका के जनवरी अंक की समीक्षा

समसामयिक विषयों को सहेजता केशव संवाद का जनवरी अंक अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला लेख पूनम कुमरिया जी का है जिन्होंने 'भूकम्प का विज्ञान : कहां, क्यों और कैसे' विषय पर पृथ्वी की गतिशीलता व आंतरिक शक्तियों की बदलती स्थिति के बारे में बताया है। 'विश्व का नेतृत्व करने का स्वर्णिम अवसर' विषय पर प्रो. अनिल निगम ने भारत के उस स्वर्णिम अवसर का वर्णन किया जिसमें उसकी विश्व के नेतृत्व करने की क्षमता व दक्षता को दर्शाता है। सप्रति वैश्विक राजनैतिक परिदृश्य में भारत की तटस्थता व सशक्तता का संदेश देते हुए विश्व फलक पर विश्व गुरु के रूप में महत्वपूर्ण वर्णन किया है। वहीं 'भारत के महत्व को रेखांकित करता जी-20 सम्मेलन' विषय पर आशीष कुमार लिखते हैं कि आज भारत की अर्थव्यव्था मजबूती के साथ बढ़ रही है। वैश्विक ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, खाद्यान्न संकट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भारत की राय अहम है। विश्व शक्ति की बदलती धुरियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। 'मीठी यादों में बसा एक लाल' विषय पर श्री नरेन्द्र भदौरिया का लेख महावीर प्रसाद विद्यार्थी को समर्पित है। 'वर्ष 2023 आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए एक सुनहरा वर्ष साबित होगा' विषय पर प्रहलाद सबनानी ने भारत को विश्व में एक चमकता सितारा बताया है। 'हिन्दी-हिन्दू, हिन्दुस्तान के उपासक मालवीय जी' एवं आत्मनिर्भर भारत के प्रणेता भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी' को अपने लेख के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है मृत्युंजय दीक्षित ने। 'प्रतिव्यक्ति की राष्ट्रीय सोच से ही भारत आत्मनिर्भर बन सकता है' पर अपने विचार व्यक्त किए है अदिति अग्रवाल ने। 'समान नागरिक संहिता पर संसद के गरमाने का औचित्य' विषय पर लेख के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किये है श्री प्रमोद भार्गव ने।

'धार्मिक तीर्थ स्थानों के कायाकल्प से मजबूत हो रहा है देश का अर्थतंत्र' विषय पर बिभाकर झा ने मंदिरों व तीर्थस्थाानों को देश की अर्थव्यवस्था का स्तम्भ बताया है। 'भविष्य के भारत में शिक्षक की भूमिका' विषय पर अपने विचार व्यक्त किए है डॉ. उर्विजा शर्मा ने। 'कौन वास्तव में हमारे देश के संविधान की आत्मा के लिए काम कर रहा है।' पर अपने विचार व्यक्त किये है पंकज जगन्नाथ जयस्वाल ने। 'इमामों को वेतन तो मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं?' विषय पर डॉ. प्रीता पंवार का लेख है। डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने लेख 'रोड़ शो से संवरता उत्तर प्रदेश का निवेश परिवेश' के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों व कार्यशैली का वर्णन किया जिसमें उन्होंने आगामी इन्वेस्टर्स समिट आयोजन की महत्ता बताया है। 'जब भी इसे पढ़ती हूं, कुछ नया पाती हूं' विषय के अर्न्तगत नीलम भागी ने 'गीता' जैसे धार्मिक ग्रन्थ पर अपने विचार व्यक्त किये है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भविष्य का भारत' शीर्षक के अर्न्तगत मोहित कुमार ने शिक्षा नीति को उच्च लक्ष्यों वाली एक दूरदर्शी विजन डॉक्युमेन्ट्री बताया है। हिन्दू संस्कृति व संस्कारों का संरक्षण व इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाया है श्री सतीश शर्मा' ने जिसका शीर्षक है 'आदर्श हिन्दू परिवार।' इसके अर्न्तगत संयुक्त परिवार की विशेषता के साथ परिवार को समाज की सबसे छोटी ईकाई बताया है। 'सोशल मीडिया की शक्ति' विषय पर डॉ. शिल्पी जिंदल ने सोशल मीडिया की सकारात्मकता पर विशेष बल दिया है। केशव संवाद पत्रिका समसामयिक विषयों को संजोते हुए एक उपयोगी पत्रिका है।

संयोजन : डॉ. प्रियंका सिंह

प्रेरणा विमर्श 2020 के अवसर पर केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक सिने विमर्श और भारतीय विरासत का विमोचन करते
लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिडला जी, गोवा की पूर्व राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी,
उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह जी व अन्य अतिथिगण

केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक अन्त्योदय की ओर का विमोचन करते सह सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबले जी,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वरिष्ठ लेखिका अद्वैता काला जी व अन्य अतिथिगण

केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक पत्रकारिता के अग्रदूत का विमोचन करते उत्तर प्रदेश के मा.राज्यपाल श्री राम नाईक जी,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संघचालक श्री सूर्यप्रकाश टोंक जी, माखनलाल चतुर्वेदी विवि. के पूर्व कुलपति
श्री जगदीश उपासने जी व अन्य अतिथिगण